

# निवास और आय का दायरा




## अध्ययन परिणाम

इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद, आप सक्षम होंगे-

- ◆ प्रत्येक व्यक्ति की निवास की स्थिति निर्धारित करने के लिए प्रावधानों का अधिमूल्यन करना।;
- ◆ विभिन्न व्यक्तियों की निवास की स्थिति निर्धारित करने के लिए सुसंगत प्रावधानों को प्रयोग में लाना;
- ◆ किसी व्यक्ति की निवास की स्थिति के आधार पर उसकी आय के कार्य क्षेत्र का परीक्षण करना;
- ◆ किसी व्यक्ति की निवास की स्थिति के आधार पर उसकी योग आय निर्धारित करने के लिए सुसंगत प्रावधानों को लागू करना।

## अध्याय अवलोकन




## 1. निवास की स्थिति [अनुभाग 6]

किसी निर्धारिती पर कर की घटना उसके अधिनियम के अंतर्गत निवास की स्थिति पर निर्भर करती है। आयकर के सभी प्रयोजनों के लिए, करदाताओं (व्यक्तिगत और HUF) को उनके निवास की स्थिति के आधार पर तीन व्यापक प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात्

- (1) निवासी और साधारणतया निवासी
- (2) निवासी लेकिन साधारणतया निवास नहीं
- (3) अनिवासी

करदाताओं (व्यक्तिगत और HUF को छोड़कर) को उनके निवास की स्थिति के आधार पर दो व्यापक प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात्:

- (1) निवासी
- (2) अनिवासी



निर्धारिती के निवास की स्थिति प्रत्येक पिछले वर्ष के संदर्भ में अभिनिश्चित की जानी चाहिए। जो व्यक्ति किसी एक वर्ष में निवासी और साधारणतया निवासी होता है, वह किसी अन्य वर्ष में अनिवासी या निवासी किंतु साधारणतया निवासी नहीं बन सकता है या *विलोमतः*।

निर्धारितियों के निवास की स्थिति निर्धारित करने के लिए प्रावधान इस प्रकार हैं:

## 1.1 व्यक्तिगत की निवास की स्थिति

1. भारत में रहने के दिनों की संख्या के आधार पर निवास की स्थिति — अनुभाग 6(1) के तहत, यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरी करता है, तो उसे किसी पिछले वर्ष में भारत में निवासी माना जाता है:

- (i) वह पिछले वर्ष के दौरान भारत में कुल 182 दिनों या उससे अधिक की अवधि तक रहा हो, या
- (ii) वह पिछले वर्ष से ठीक पहले के चार वर्षों के दौरान भारत में कुल 365 दिनों या उससे अधिक की अवधि तक रहा हो और प्रासंगिक पिछले वर्ष में कम से कम 60 दिनों तक भारत में रहा हो।

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त में से कोई एक शर्त पूरी करता है, तो वह निवासी होता है। यदि उपर्युक्त दोनों शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो व्यक्ति अनिवासी होता है।



• “भारत में रहना” शब्द में भारत के राज्य क्षेत्रीय जल (अर्थात् समुद्र में भारतीय तटरेखा से 12 समुद्री मील तक) में रहना भी सम्मिलित होता है। यहां तक कि भारत के प्रादेशिक जल में खड़े किसी जहाज या नाव में रहना भी किसी व्यक्ति को भारत का निवासी बनाने के लिए पर्याप्त होगा।

• यह आवश्यक नहीं है कि निवास की अवधि निरंतर या सक्रिय हो, और यह भी आवश्यक नहीं है कि निवास व्यक्तिगत के साधारणतया निवास, कारबार या नौकरी के स्थान पर ही हो।

• भारत में निवास के दिनों की संख्या की गणना के प्रयोजन के लिए, प्रस्थान की तारीख तथा आगमन की तारीख—दोनों को भारत में निवास के रूप में माना जाता है।

• आयकर प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति का निवास नागरिकता, जन्म-स्थान या अधिवास से कोई संबंध नहीं रखता। इसलिए, एक व्यक्ति कर प्रयोजन के लिए एक से अधिक देशों का निवासी हो सकता है, भले ही उसका अधिवास स्थान एक ही देश में हो।

### अपवाद:

निम्नलिखित प्रवर्गों के व्यक्तियों को भारत में निवासी केवल तभी माना जाएगा जब सुसंगत पिछले वर्ष के दौरान उनके निवास की अवधि 182 दिनों या उससे अधिक हो। दूसरे शब्दों में, यदि ऐसे व्यक्ति प्रासंगिक पिछले वर्ष में भारत में 60 दिनों या उससे अधिक (लेकिन 182 दिनों से कम) रहे

हों, तो उन्हें निवासी नहीं माना जाएगा, भले ही वे पूर्ववर्ती चार वर्षों में भारत में कुल 365 दिनों या उससे अधिक की अवधि तक रहे हों।

- (1) भारतीय नागरिक, जो किसी भारतीय जहाज के चालक दल के सदस्य के रूप में या भारत के बाहर रोजगार के प्रयोजन से सुसंगत पिछले वर्ष के दौरान भारत छोड़ता है, या
- (2) भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति<sup>1</sup> जो भारत से बाहर रहते हुए, सुसंगत पिछले वर्ष के दौरान भारत की यात्रा पर आता है।

हालांकि, ऐसा व्यक्ति जिसकी योग आय—विदेशी स्रोतों से प्राप्त आय को छोड़कर—(अर्थात् ऐसी आय जो भारत से बाहर प्रोद्भूत या उद्भूत होती है, सिवाय उस आय के जो भारत में नियंत्रित कारबार या स्थापित वृत्ति से संबंधित हो और जिसे भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत नहीं माना गया हो), पिछले वर्ष के दौरान ₹15 लाख से अधिक हो, तो उसे भारत में निवासी माना जाएगा यदि—

- प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान उसके ठहरने की अवधि 182 दिनों या उससे अधिक हो, या...
- वह व्यक्ति पूर्ववर्ती चार वर्षों के दौरान भारत में कुल 365 दिनों या उससे अधिक की अवधि तक रहा हो और पिछले वर्ष में कम से कम 120 दिनों तक भारत में रहा हो।



प्रासंगिक पिछले वर्ष में भारत में 120 दिनों का निवास एक स्वतंत्र शर्त नहीं है। इस शर्त के अनुसार प्रासंगिक पिछले वर्ष में 120 दिन और पिछले वर्ष से ठीक पहले के 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहना आवश्यक है।

### चालक दल के सदस्य के रूप में भारतीय नागरिक के लिए भारत में रहने की अवधि का निर्धारण कैसे किया जाए?

विदेश जाने वाले जहाजों के मामले में, जहां यात्रा का गंतव्य भारत से बाहर है, वहां चालक दल के सदस्य के रूप में भारतीय नागरिक के लिए भारत में ठहरने की अवधि निर्धारित करने के तरीके और आधार के बारे में अनिश्चितता है।

<sup>1</sup>यदि कोई व्यक्ति या उसके माता-पिता में से कोई एक या उसके दादा-दादी में से कोई एक अविभाजित भारत में जन्मे हों, तो उस व्यक्ति को भारतीय मूल का कहा जाता है।

इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए, अनुभाग 6(1) के स्पष्टीकरण 2 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के मामले में, जो भारत का नागरिक है और भारत छोड़ने वाले विदेशी जहाज के चालक दल का सदस्य है, ऐसी यात्रा के संबंध में भारत में रहने की अवधि या अवधियां निर्धारित तरीके से और निर्धारित शर्तों के अधीन निर्धारित की जाएंगी।

तदनुसार, CBDT ने अधिसूचना संख्या 70/2015 दिनांक 17.8.2015 के तहत ऐसे मामलों में ठहरने की अवधि की गणना करने के लिए आयकर नियम, 1962 में नियम 126 को शामिल किया है।

नियम 126 के अनुसार, अनुभाग 6(1) के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के मामले में, जो भारत का नागरिक है और किसी जहाज के चालक दल का सदस्य है, पात्र यात्रा के संबंध में भारत में ठहरने की अवधि या अवधियों में निम्नलिखित अवधि सम्मिलित नहीं की जाएगी:

#### अपवर्जित की जाने वाली अवधि

प्रारम्भ होने वाली अवधि		समाप्त होने वाली अवधि
पात्र यात्रा के लिए उक्त व्यक्ति द्वारा जहाज में कार्यारम्भ होने के संबंध में सतत जीवित प्रमाण पत्र में दर्ज की गई तारीख	और	ऐसी यात्रा के संबंध में उस व्यक्ति द्वारा जहाज से कार्यमुक्त होने के संबंध में सतत निर्वहन प्रमाण पत्र में दर्ज की गई तारीख।

#### निश्चित शब्दों के अर्थ:

शब्द	अर्थ
पात्र यात्रा	अंतर्राष्ट्रीय यातायात में यात्रियों या माल की दुलाई में लगे जहाज द्वारा की गई यात्रा, जहाँ – (i) जिस यात्रा का प्रारम्भ भारत के किसी भी बंदरगाह से हुआ हो और जिसका गंतव्य भारत से बाहर का कोई बंदरगाह हो; और (ii) जिस यात्रा का प्रारम्भ भारत से बाहर के किसी भी बंदरगाह से हुआ हो और जिसका गंतव्य भारत का कोई बंदरगाह हो।

#### चित्रण 1

श्री आनंद एक भारतीय नागरिक हैं और 6 जून, 2025 को चेन्नई बंदरगाह से प्रस्थान करने वाले अंतर्राष्ट्रीय यातायात में यात्रियों के परिवहन में लगे सिंगापुर जाने वाले भारतीय जहाज के चालक दल के सदस्य हैं। पिछले वर्ष 2025-26 के लिए निम्नलिखित विवरणों से, निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए श्री आनंद की निवास की स्थिति निर्धारित करें, यह मानते

हुए कि पिछले 4 वर्षों (पिछले वर्ष 2025-26 से पहले) में उनका भारत में प्रवास 400 दिन का है:

विवरण	तारीख
श्री आनंद द्वारा जहाज में कार्यारंभ करने के संबंध में सतत निर्वहन प्रमाण पत्र में दर्ज की गई तारीख	6 जून, 2025
श्री आनंद के जहाज से कार्यमुक्त होने के संबंध में सतत निर्वहन प्रमाण पत्र में दर्ज की गई तारीख	9 दिसंबर, 2025

### समाधान

इस मामले में, चूंकि श्री आनंद एक भारतीय नागरिक हैं और पिछले वर्ष 2025-26 के दौरान भारतीय जहाज के चालक दल के सदस्य के रूप में भारत छोड़ रहे हैं, इसलिए यदि वे 182 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में रहते हैं तो वे भारत के निवासी होंगे।

यह यात्रा एक भारतीय जहाज द्वारा की जाती है जो अंतर्राष्ट्रीय यातायात में यात्रियों के परिवहन में संलग्न है, यह यात्रा भारत के एक बंदरगाह (अर्थात् चेन्नई बंदरगाह) से शुरू होती है तथा इसका गंतव्य भारत के बाहर एक बंदरगाह (अर्थात् सिंगापुर बंदरगाह) है। अतः यह यात्रा अनुभाग 6(1) के प्रयोजनों के लिए एक पात्र यात्रा है।

इसलिए, 6 जून, 2025 से शुरू होकर 9 दिसंबर, 2025 को समाप्त होने वाली अवधि, जो कि जहाज के चालक दल के सदस्य, भारतीय नागरिक श्री आनंद द्वारा जहाज में शामिल होने और जहाज से विदा लेने के संबंध में सतत निर्वहन प्रमाण पत्र में दर्ज की गई तारीखें हैं, को भारत में उनके प्रवास की अवधि की संगणना के लिए अपवर्जित की जानी चाहिए। तदनुसार, 187 दिन [25+31+31+30+31+30+9] को भारत में उनके प्रवास की अवधि से बाहर रखा जाना है। परिणामस्वरूप, पिछले वर्ष 2025-26 के दौरान श्री आनंद की भारत में प्रवास की अवधि 178 दिन [अर्थात्, 365 दिन - 187 दिन] होगी। चूंकि पिछले वर्ष 2025-26 के दौरान भारत में उनके प्रवास की अवधि 182 दिनों से कम है, इसलिए वे निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए अनिवासी हैं।

- 2. माना गया निवासी [अनुभाग 6(1A)]** - एक व्यक्ति, जो भारतीय नागरिक है, जिसकी विदेशी स्रोतों से आय [अर्थात्, वह आय जो भारत के बाहर अर्जित या उत्पन्न होती है (भारत में स्थापित व्यवसाय या पेशे से आय को छोड़कर) और जो भारत में अर्जित या उत्पन्न नहीं मानी जाती है] के अलावा कुल आय उस पिछले वर्ष के दौरान ₹15 लाख रुपये से अधिक है, उसे उस पिछले वर्ष में भारत में निवासी माना जाएगा, यदि वह अपने अधिवास या निवास या समरूप प्रकृति के किसी अन्य मानदंड के कारण किसी अन्य देश या क्षेत्र में कर के लिए उत्तरदायी नहीं है।

हालाँकि, यह प्रावधान उस व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होगा जो अनुभाग 6(1) के अनुसार पिछले वर्ष भारत का निवासी रहा हो।

**"कर के लिए उत्तरदायी" का अर्थ** - किसी व्यक्ति के संबंध में और किसी देश के संदर्भ में कर के लिए उत्तरदायी का अर्थ है कि उस व्यक्ति पर उस देश के तत्समय प्रवृत्त कानून के तहत आयकर की देयता लागू होती है। इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसे बाद में उस देश के कानून के तहत ऐसी देयता से छूट दे दी गई हो।



• केवल भारतीय नागरिक को ही निवासी माना जा सकता है। कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है बल्कि भारतीय मूल का व्यक्ति है, उसे अनुभाग 6(1A) के तहत मानद/मान्य निवासी नहीं माना जा सकता।

• अनुभाग 6(1A) के तहत निवासी माने जाने के लिए भारत में रहना आवश्यक नहीं है।

### निवासी एवं साधारणतया निवासी / निवासी किंतु साधारणतया निवासी नहीं

केवल व्यक्तिगत व्यक्ति और HUF ही भारत में "निवासी हो सकते हैं, लेकिन साधारणतया निवासी नहीं"। अन्य सभी वर्गों के निर्धारित या तो निवासी हो सकते हैं या अनिवासी। साधारणतया निवासी व्यक्ति वह है जो अनुभाग 6(6) के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी भी शर्त को पूरा करता है।

- (i) यदि ऐसा व्यक्ति प्रासंगिक पिछले वर्ष से पूर्ववर्ती के 10 वर्षों में से किसी भी 9 वर्षों में भारत में अनिवासी रहा हो, या
- (ii) यदि ऐसा व्यक्ति, प्रासंगिक पिछले वर्ष से पूर्ववर्ती 7 वर्षों के दौरान, 729 दिनों या उससे कम अवधि के लिए भारत में रहा हो, या
- (iii) यदि ऐसा व्यक्ति भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति है (जो भारत से बाहर रहते हुए किसी पिछले वर्ष में भारत की यात्रा पर आया है) जिसकी कुल आय, विदेशी स्रोतों से आय [अर्थात्, वह आय जो भारत के बाहर प्रोद्भूत या उद्भूत होती है (भारत में स्थापित कारबार या वृत्ति से प्राप्त आय के अलावा) और जो भारत में अर्जित या उत्पन्न नहीं मानी जाती है] को छोड़कर, पिछले वर्ष के दौरान ₹15 लाख से अधिक है, जो उस पिछले वर्ष के दौरान 120 दिन या उससे अधिक लेकिन 182 दिन से कम समय के लिए भारत में रहा है, या

- (iv) यदि ऐसा व्यक्ति भारतीय नागरिक है जिसे अनुभाग 6(1A) के तहत भारत का निवासी माना जाता है।



अनुभाग 6(1A) के अंतर्गत माना गया निवासी हमेशा RNOR होता है।

### चित्रण 2

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी ब्रेट ली प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के लिए भारत आते हैं। पिछले 10 वित्तीय वर्षों से उनकी यही पद्धति रही है।

- (a) निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए उनकी निवासी की स्थिति का पता लगाएं।
- (b) यदि उपरोक्त तथ्य श्रीनाथ से संबंधित हों, जो एक भारतीय नागरिक हैं और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तथा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या आपका उत्तर बदल जाएगा?
- (c) यदि श्रीनाथ ने पिछले वर्ष 2025-26 सहित प्रतिवर्ष 100 दिनों के बजाय 120 दिनों के लिए भारत का दौरा किया होता, तो आपका उत्तर क्या होता?

### समाधान

- (a) निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए श्री ब्रेट ली की निवासी की स्थिति का निर्धारण:-

पिछले वर्ष 2025-26 के दौरान प्रवास की अवधि = 100 दिन

4 पूर्ववर्ती पिछले वर्षों के दौरान प्रवास की अवधि की गणना (100 x 4 = 400 दिन)

2024-25	100 दिन
2023-24	100 दिन
2022-23	100 दिन
2021-22	100 दिन
<b>कुल</b>	<b>400 दिन</b>

श्री ब्रेट ली पिछले वर्ष 2025-26 के दौरान 60 दिनों से अधिक अवधि के लिए भारत में रहे हैं तथा तत्काल पूर्ववर्ती 4 वर्षों के दौरान 365 दिनों से अधिक अवधि के लिए भारत में रहे हैं। इसलिए, चूंकि वह अनुभाग 6(1) के अंतर्गत बुनियादी शर्तों में से एक को पूरा करते हैं, इसलिए वह निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए निवासी है।

7 पूर्ववर्ती पिछले वर्षों के दौरान प्रवास की अवधि की संगणना =  $100 \times 7$   
= 700 दिन

2024-25	100 दिन
2023-24	100 दिन
2022-23	100 दिन
2021-22	100 दिन
2020-21	100 दिन
2019-20	100 दिन
2018-19	100 दिन
<b>कुल</b>	<b>700 दिन</b>

चूंकि पिछले 7 वर्षों के दौरान भारत में उनके प्रवास की अवधि 730 दिनों से कम है, इसलिए वे निर्धारण वर्ष 2026-27 के दौरान गैर-साधारणतया निवासी हैं (नीचे नोट देखें)।

इसलिए, श्री ब्रेट ली पिछले वर्ष 2025-26 में निवासी है, किंतु साधारणतया निवासी नहीं हैं, जो निर्धारण वर्ष 2026-27 से प्रासंगिक है।

**नोट:** कोई व्यक्ति, जो भारतीय नागरिक नहीं है, गैर-साधारण निवासी व्यक्ति होगा यदि वह अनुभाग 6(6) के तहत निर्दिष्ट शर्तों में से किसी एक को पूरा करता है, अर्थात्,

- यदि ऐसा व्यक्ति प्रासंगिक पिछले वर्ष से पूर्ववर्ती के 10 वर्षों में से किसी भी 9 वर्षों में भारत में अनिवासी रहा हो, या
- यदि ऐसा व्यक्ति प्रासंगिक पिछले वर्ष से पूर्ववर्ती 7 वर्षों के दौरान 729 दिन या उससे कम अवधि के लिए भारत में रहा हो।

इस मामले में, चूंकि श्री ब्रेट ली शर्त (ii) को पूरा करते हैं, इसलिए वे निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए गैर-साधारण निवासी हैं।

- यदि उपरोक्त तथ्य श्री श्रीनाथ से संबंधित हैं, जो एक भारतीय नागरिक हैं और आस्ट्रेलिया में रहते हैं तथा भारत की यात्रा पर आते हैं, तो उन्हें भारत में अनिवासी माना जाएगा, भले ही उनकी कुल आय (विदेशी स्रोतों से आय को छोड़कर) कितनी भी हो, क्योंकि चालू वित्तीय वर्ष में उनका भारत में प्रवास किसी भी स्थिति में 120 दिनों से कम है।
- इस मामले में, यदि श्रीनाथ की कुल आय (विदेशी स्रोतों से आय को छोड़कर) ₹15 लाख से अधिक है, तो उन्हें निवासी माना जाएगा, लेकिन साधारण रूप से निवासी नहीं माना जाएगा, क्योंकि

पिछला वर्ष 2025-26 नहीं माना जाएगा, क्योंकि पिछले वर्ष 2025-26 में उनकी भारत में प्रवास अवधि 120 दिन की है और तुरंत पूर्ववर्ती चार वर्षों में 480 दिन (अर्थात 120 दिन x 4 वर्ष) का है।

यदि उनकी कुल आय (विदेशी स्रोतों से आय को छोड़कर) ₹15 लाख से अधिक नहीं है, तो उन्हें पिछले वर्ष 2025-26 के लिए भारत में अनिवासी माना जाएगा, क्योंकि पिछले वर्ष 2025-26 में भारत में उनका प्रवास 182 दिनों से कम है।

### चित्रण 3

श्री B, एक कनाडाई नागरिक, पिछले वर्ष 2021-22 के दौरान पहली बार भारत आते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान वह क्रमशः 55 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 150 दिन और 70 दिन भारत में रहे। निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए उनकी आवासीय स्थिति का निर्धारण करें।

### समाधान

पिछले वर्ष 2025-26 के दौरान, श्री B 70 दिनों के लिए भारत में रहे और पिछले वर्ष 2025-26 से पूर्ववर्ती 4 वर्षों के दौरान, वे 355 दिनों (अर्थात 55+ 60+ 90+ 150 दिन) के लिए भारत में रहे।

इस प्रकार, वे अनुभाग 6(1) के तहत मूल शर्त को पूरा नहीं करते हैं। इसलिए, वे पिछले वर्ष 2025-26 के लिए अनिवासी हैं।

## 1.2 HUF की निवास की स्थिति

**निवासी:** एक HUF भारत का निवासी होगा यदि उसके मामलों का नियंत्रण और प्रबंधन पूर्णतः या आंशिक रूप से भारत में स्थित हो।

**अनिवासी:** यदि मामलों का नियंत्रण और प्रबंधन पूर्णतः भारत के बाहर स्थित है, तो वह अनिवासी बन जाएगा।

### "नियंत्रण और प्रबंधन" शब्द का अर्थ

- अनुभाग 6 के तहत निर्दिष्ट 'नियंत्रण और प्रबंधन' शब्द का तात्पर्य केंद्रीय नियंत्रण और प्रबंधन से है, न कि नौकरों, कर्मचारियों या एजेंटों द्वारा दिन-प्रतिदिन के कारबार के संचालन से।
- नियंत्रण और प्रबंधन का अर्थ वास्तविक नियंत्रण और प्रबंधन है, न कि केवल नियंत्रण या प्रबंधन का अधिकार होना।

- कारबार भारत के बाहर से किया जा सकता है, फिर भी उसका नियंत्रण और प्रबंधन पूर्णतः भारत के भीतर हो सकता है। इसलिए, किसी कारबार का नियंत्रण और प्रबंधन उस स्थान पर स्थित माना जाता है जहां उस उपक्रम का शीर्ष और मस्तिष्क स्थित होता है। केवल इसलिए कि परिवार का भारत में एक घर है, जहाँ कुछ सदस्य पिछले वर्ष में निवास करते थे, उस स्थान को HUF के मामलों के नियंत्रण और प्रबंधन का स्थान नहीं माना जा सकता है, जब तक कि HUF के मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय उस स्थान पर न लिए जाएं।
- नियंत्रण का स्थान सामान्य रूप से कारबार चलाने के स्थान से भिन्न हो सकता है और कभी-कभी निर्धारिती के पंजीकृत कार्यालय से भी भिन्न हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी कारबार का नियंत्रण और प्रबंधन आवश्यक रूप से न तो कारबार के स्थान से किया जाना चाहिए और न ही निर्धारिती के पंजीकृत कार्यालय से।
- लेकिन नियंत्रण और प्रबंधन का तात्पर्य किसी विशेष स्थान पर कुछ हद तक स्थायित्व के साथ नियंत्रण और निर्देशात्मक शक्ति के कार्य करने से है।

### निवासी और साधारणतया निवासी/निवासी लेकिन साधारणतया निवासी नहीं

यदि निवासी HUF का कर्ता निम्नलिखित **दोनों** अतिरिक्त शर्तों (जैसा कि व्यक्तिगत मामले में लागू होता है) को पूरा करता है, तो वह HUF निवासी एवं साधारणतया निवासी होगा; अन्यथा वह निवासी होगा किंतु साधारणतया निवासी नहीं होगा।

- निवासी HUF का कर्ता सुसंगत पिछले वर्ष से ठीक पहले के 10 पूर्व वर्षों में से कम-से-कम 2 पूर्व वर्षों में निवासी होना चाहिए।
- सुसंगत पिछले वर्ष से ठीक पहले के 7 पूर्व वर्षों के दौरान कर्ता का निवास 730 दिन या उससे अधिक होना चाहिए।

### **चित्रण 4**

*HUF का कारबार ऑस्ट्रेलिया से संचालित होता है और सभी नीति संबंधी निर्णय वहीं लिए जाते हैं। श्री E, जो HUF के कर्ता हैं और जिनका जन्म कोलकाता में हुआ था, 15 वर्षों के बाद पिछले वर्ष 2025-26 के दौरान भारत की यात्रा पर आएंगे। वे 1.4.2025 को भारत आएंगे और 1.12.2025 को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए श्री E और HUF की आवासीय स्थिति का निर्धारण करें।*

### **समाधान**


- (a) पिछले वर्ष 2025-26 के दौरान, श्री E भारत में 245 दिन (अर्थात 30+31+30+31+31+30+31+30+1 दिन) रहे हैं। इसलिए, वे एक निवासी हैं। हालाँकि, चूंकि

वे 15 वर्षों के बाद भारत आए हैं, इसलिए वे साधारणतया निवासी होने की शर्त को पूरा नहीं करते हैं।

इसलिए, पिछले वर्ष 2025-26 के लिए श्री E की निवास स्थिति निवासी है, लेकिन साधारणतया निवासी नहीं है।

- (b) चूँकि HUF का कारबार ऑस्ट्रेलिया से संचालित होता है और नीति संबंधी निर्णय वहीं लिए जाते हैं, इसलिए यह माना जाता है कि नियंत्रण और प्रबंधन ऑस्ट्रेलिया में है, अर्थात् नियंत्रण और प्रबंधन पूर्णतः भारत से बाहर है। इसलिए, HUF पिछले वर्ष 2025-26 के लिए अनिवासी है।

**नोट-** अतः पिछले वर्ष 2025-26 के लिए HUF अनिवासी है। ऐसे मामले में, HUF की निवास स्थिति निवासी होगी, किंतु साधारणतया निवासी नहीं होगी, क्योंकि प्रासंगिक पिछले वर्ष से ठीक पहले के 7 पूर्व वर्षों में कर्ता का भारत में प्रवास 730 दिनों से कम है।



### 1.3 फर्मों, AOP और BoI की निवास स्थिति

**निवासी:** कोई फर्म, AOP और BoI भारत में निवासी होंगे यदि उनके मामलों का नियंत्रण और प्रबंधन पूर्णतः या आंशिक रूप से भारत में स्थित हो।

**अनिवासी:** जहां मामलों का नियंत्रण और प्रबंधन पूरी तरह से भारत के बाहर स्थित है, वहां फर्म, AOP और BoI अनिवासी माने जाएंगे।



किसी फर्म/ AOP /BoI की निवास स्थिति निर्धारित करते समय साझेदारों/सदस्यों की निवास स्थिति अप्रासंगिक होती है।


### 1.4 कंपनियों की निवास की स्थिति

कोई कंपनी किसी भी पिछले वर्ष में भारत में निवासी होगी, यदि-

- यह एक भारतीय कंपनी है; या
- उस वर्ष में इसका प्रभावी प्रबंधन का स्थान भारत में है।

"प्रभावी प्रबंधन का स्थान" से तात्पर्य ऐसे स्थान से है, जहां किसी संस्था के ससम्पूर्ण कारबार के संचालन के लिए आवश्यक प्रमुख प्रबंधन और वाणिज्यिक निर्णय, मूलतः लिए जाते हैं [अनुभाग 6(3) का स्पष्टीकरण]।

#### कंपनी की निवास स्थिति का निर्धारण



**नोट-** विदेशी कंपनी के प्रभावी प्रबंधन के स्थान (POEM) के निर्धारण और भारत के बाहर निगमित कंपनी, जिसका पहले भारत में कर निर्धारण नहीं किया गया है और जो POEM के आवेदन के कारण पहली बार भारत में निवासी बनी है, के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा जारी दिशानिर्देश अध्याय XII-BC में प्रदान किए गए हैं। उसी को अंतिम स्तर पर निपटाया जाएगा।

## 1.5 स्थानीय प्राधिकरणों और कृत्रिम विधिक व्यक्तियों की निवास स्थिति

**निवासी:** स्थानीय प्राधिकारी और कृत्रिम विधिक व्यक्ति भारत में निवासी माने जाएँगे यदि उनके कार्यकलापों का नियंत्रण और प्रबंधन पूर्णतः या अंशतः भारत में स्थित हो।

**अनिवासी:** जहाँ कार्यकलापों का नियंत्रण और प्रबंधन पूर्णतः भारत से बाहर स्थित होता है, वहाँ वे अनिवासी बन जाते हैं।



## 2. योग आय का दायरा

अनुभाग 5 निर्धारिती की निवास स्थिति के आधार पर योग आय के कार्य क्षेत्र को परिभाषित करता है, क्योंकि भारत में किसी व्यक्ति पर कर का भार उसकी निवास स्थिति पर निर्भर करता है। निर्धारिती की योग आय का दायरा निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करता है:

- (i) निर्धारिती की निवास स्थिति;
- (ii) आय की प्राप्ति या उपार्जन का स्थान, चाहे वास्तविक हो या मानी गई हो; और
- (iii) वह समय-बिन्दु जब आय निर्धारिती को या उसके पक्ष में उपार्जित हुई या प्राप्त हुई।

तीन वर्गों के निर्धारितियों की योग आय का दायरा इस प्रकार होगा:

### (1) निवासी और साधारणतया निवासी (ROR)

अनुभाग 5(1) के अंतर्गत, एक ROR की योग आय में सम्मिलित होंगे:

- (i) पिछले वर्ष के दौरान भारत में प्राप्त या प्राप्त मानी गई आय;
- (ii) वह आय जो पिछले वर्ष के दौरान भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत होती है या प्रोद्भूत या उद्भूत मानी जाती है; और
- (iii) वह आय जो पिछले वर्ष के दौरान भारत के बाहर प्रोद्भूत या उद्भूत होती है, भले ही वह भारत में प्राप्त न हुई हो या भारत में नहीं लाई गई हो।

सरल शब्दों में, एक ROR को उस योग आय पर कर देना होता है जो प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान भारत या भारत के बाहर प्रोद्भूत या प्राप्त हुई हो या प्रोद्भूत या प्राप्त मानी गई हो।

### (2) निवासी किन्तु साधारणतया निवासी नहीं (RNOR)

अनुभाग 5(1) के अंतर्गत, एक आरएनओआर की योग आय में सम्मिलित होंगे –

- (i) पिछले वर्ष के दौरान भारत में प्राप्त या प्राप्त मानी गई आय;
- (ii) वह आय जो पिछले वर्ष के दौरान भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत होती है या प्रोद्भूत या उद्भूत मानी जाती है; और
- (iii) भारत में नियंत्रित कारबार या स्थापित वृत्ति से प्राप्त आय, भले ही वह भारत के बाहर उपार्जित या उत्पन्न हुई हो।

**नोट** – भारत के बाहर प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली अन्य सभी आय, जो न तो भारत में प्राप्त हुई है, न ही प्राप्त मानी गई है, और न ही भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत मानी गई है, उसे उसकी योग आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

### (3) अनिवासी

अनुभाग 5(2) के अंतर्गत अनिवासी की योग आय में सम्मिलित होते हैं:

- (i) पिछले वर्ष में भारत में प्राप्त या प्राप्त मानी गई आय; और
- (ii) पिछले वर्ष के दौरान भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत अथवा प्रोद्भूत या उद्भूत मानी गई आय।

**नोट:** सभी निर्धारिती, चाहे वे निवासी हों या अनिवासी, भारत में प्रोद्भूत, उद्भूत, प्राप्त या प्रोद्भूत/उद्भूत/प्राप्त मानी गई आय कर के लिए प्रभार्य होती हैं; जबकि केवल निवासी (व्यक्तियों और HUF के मामले में निवासी और साधारणतया निवासी) भारत से बाहर प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली आय कर के लिए प्रभार्य होती हैं।

किसी भारतीय बैंक में रखे गए NRI (गैर-निवासी बाह्य) खाते में पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले अनिवासी नाविक की भारत में आयकर देयता के संबंध में स्पष्टीकरण [परिपत्र संख्या 13/2017, दिनांक 11.04.2017 और परिपत्र संख्या 17/2017, दिनांक 26.04.2017]

अनिवासी नाविकों द्वारा विदेश जाने वाले जहाज (भारतीय ध्वज या विदेशी ध्वज के साथ) पर भारत के बाहर दी गई सेवाओं के लिए प्राप्त वेतन के रूप में आय, जो किसी भारतीय बैंक में रखे गए NRE बैंक खाते में प्राप्त होती है, योग आय में शामिल नहीं की जाएगी।

## आवासीय स्थिति और योग आय का दायरा: क्या निम्नलिखित आयों को योग आय में शामिल किया जाना है?

योग आय का कार्य क्षेत्र	निवासी और साधारणतया निवासी (ROR)	निवासी लेकिन साधारणतया निवास नहीं (RNOR)	अनिवासी
पिछले वर्ष के दौरान भारत में प्राप्त या प्राप्त मानी गई आय	हां	हां	हां
पिछले वर्ष के दौरान भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत अथवा प्रोद्भूत या उद्भूत मानी गई आय	हां	हां	हां
पिछले वर्ष के दौरान भारत से बाहर प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली आय	हाँ, भले ही ऐसी आय पिछले वर्ष के दौरान भारत में प्राप्त न की गई हो या भारत में न लाई गई हो।	हाँ, लेकिन केवल तब जब ऐसी आय भारत में नियंत्रित कारबार या स्थापित वृत्ति से प्राप्त की गई हो; अन्यथा नहीं।	नहीं

### चित्रण 5

श्री अनिरुद्ध द्वारा 31.3.2026 को समाप्त वर्ष के संबंध में प्रस्तुत आय के निम्नलिखित विवरणों से, निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए योग आय की संगणना करें, यदि वह:

- (i) निवासी और साधारणतया निवासी
- (ii) निवासी लेकिन साधारणतया निवास नहीं
- (iii) अनिवासी

	विवरण	₹
(a)	भारतीय कम्पनी के शेयरों के विक्रय पर प्राप्त अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ, जो जर्मनी में प्राप्त हुआ।	15,000

(b)	एक जापानी कंपनी से जापान में प्राप्त लाभांश	10,000
(c)	लंदन स्थित सम्पत्ति से प्राप्त किराया, जो लंदन के बैंक में जमा किया गया, बाद में अनुमोदन प्राप्त बैंकिंग माध्यमों से भारत में भेज दिया गया।	75,000
(d)	RP लिमिटेड, एक भारतीय कंपनी से लाभांश	6,000
(e)	गुजरात में भूमि से कृषि आय	25,000

## समाधान

## निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए श्री अनिरुद्ध की योग आय की संगणना

विवरण	निवासी और साधारणतया निवासी ₹	निवासी लेकिन साधारणतया निवास नहीं ₹	अनिवासी ₹
1) भारतीय कंपनी के शेयरों के विक्रय पर प्राप्त अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ, जो जर्मनी में प्राप्त किया गया।	15,000	15,000	15,000
2) एक जापानी कंपनी से जापान में प्राप्त लाभांश	10,000	-	-
3) लंदन स्थित सम्पत्ति से प्राप्त किराया, जो लंदन के बैंक में जमा किया गया [नीचे नोट (i) देखें]	52,500	-	-
4) RP लिमिटेड, एक भारतीय कंपनी से लाभांश	6,000	6,000	6,000
5) पंजाब स्थित भूमि से प्राप्त कृषि आय *[नीचे नोट (ii) देखें]	-	-	-
<b>कुल आय</b>	<b>83,500</b>	<b>21,000</b>	<b>21,000</b>

## नोट्स:

- (i) यह मान लिया गया है कि किराये की आय संपत्ति का सकल वार्षिक मूल्य है। अतः अनुभाग 24 के तहत 30% की दर से कटौती प्रदान की गई है, और इस प्रकार संगणित की गई शुद्ध आय को निवासी और साधारणतया निवासी की योग आय के निर्धारण हेतु ध्यान में रखा गया है।

	₹
प्राप्त किराया (सकल वार्षिक मूल्य के रूप में माना गया है)	75,000
<b>घटाएँ:</b> अनुभाग 24 के तहत कटौती (₹ 75,000 का 30%)	22,500
गृह संपत्ति से आय	52,500


(ii) कृषि आय अनुभाग 10(1) के अंतर्गत कर-मुक्त है।

## 2.1 “प्राप्त आय या प्राप्त मानी गई आय” का अर्थ

सभी निर्धारित भारत में पिछले वर्ष के दौरान उनके द्वारा प्राप्त या प्राप्त मानी गई आय के संबंध में कर के लिए दायी हैं, चाहे —

- उनकी निवास स्थिति, और
- उसके प्रोद्भवन के स्थान की अप्रासंगिकता।

आय को उसकी वास्तविक या मानी गई प्राप्ति पर तुरन्त निर्धारित की कुल योग में शामिल किया जाना है। आय प्राप्ति से तात्पर्य केवल उस प्रथम अवसर से है जब प्राप्तकर्ता धन को अपने नियंत्रण में ले लेता है। इसलिए, जब एक बार कोई राशि आय के रूप में प्राप्त हो जाती है, तो उस राशि का एक स्थान या व्यक्ति से दूसरे स्थान या व्यक्ति को प्रेषण या संचरण, बाद के प्राप्तकर्ता के हाथों में या बाद की प्राप्ति के स्थान पर आय की प्राप्ति नहीं माना जाता है।



## 2.2 आय 'प्रोद्भूत होना' और 'देय' का अर्थ

'प्रोद्भूत होना' का तात्पर्य आय प्राप्त करने के अधिकार से है, जबकि 'देय' का तात्पर्य उसी के भुगतान को लागू करने के अधिकार से है। दूसरे शब्दों में, जब आय प्राप्त करने का अधिकार निर्धारिती में निहित हो जाता है, तो उसे प्रोद्भूत या उद्भूत होना कहा जाता है। उदाहरण के लिए, दिसंबर में किए गए कार्य के लिए वेतन मास से मास तक, दिन-प्रतिदिन प्रोद्भूत होगा, लेकिन 31 दिसंबर या 1 जनवरी को वेतन बिल पारित होने पर वह देय हो जाएगा।

इसी प्रकार, सरकारी प्रतिभूतियों पर विनिर्दिष्ट तारीखों को देय ब्याज, धारित अवधि के दौरान, दिन-प्रतिदिन उद्भूत होता है, परंतु विनिर्दिष्ट तारीखों को भुगतान के लिए देय हो जाता है।

**उदाहरण :** सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज सामान्यतः विनिर्दिष्ट तारीखों पर देय होता है, जैसे 1 जनवरी और 1 जुलाई। ऐसे सभी मामलों में, ब्याज 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक प्रोद्भूत होता हुआ माना जाएगा, और 1 जनवरी को वह भुगतान के लिए देय हो जाएगा।


यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस आय पर अभिवर्द्धन के आधार पर कराधीन किया जा चुका है, उसे पुनः प्राप्ति के आधार पर पुनः निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे दोहरी कराधान की स्थिति उत्पन्न होगी।

आय के कराधान में कठिनाइयों को दूर करने और शंकाओं को स्पष्ट करने के उद्देश्य से, अनुभाग 5 का स्पष्टीकरण 1 विशेष रूप से यह प्रदान करता है कि भारत से बाहर प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली आय के किसी मद को केवल इस कारण भारत में प्राप्त मान लिया जाना उचित नहीं होगा कि उसे भारत में तैयार किए गए तुलन पत्र में लेखांकित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, अनुभाग 5 के स्पष्टीकरण 2 में यह स्पष्ट किया गया है कि एक बार आय का कोई मद निर्धारिती की योग आय में शामिल कर लिया जाता है और उसे अभिवर्द्धन या मानद अभिवर्द्धन के आधार पर कराधीन कर दिया गया हो, तो उसे पुनः व्यक्ति की योग आय में शामिल नहीं किया जा सकता है और न ही उसी वर्ष या अनुवर्ती वर्ष में उसकी प्राप्ति के आधार पर कराधीन किया जा सकता है - चाहे वह वास्तविक हो या मानी गई हो।

## 2.3 भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत मानी गई आय [अनुभाग 9]

कुछ प्रकार की आय भारत में अर्जित या उत्पन्न मानी जाती है, भले ही वे वास्तव में भारत के बाहर अर्जित या उत्पन्न होती हों।



भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत मानी जाने वाली आय की श्रेणियाँ हैं:

(1) *भारत के बाहर किसी भी स्थान पर किसी निधार्रिती को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली कोई भी आय*

- भारत में किसी भी व्यावसायिक संबंध के माध्यम से
- भारत में किसी भी संपत्ति के माध्यम से
- भारत में किसी आस्ति या आय के स्रोत के माध्यम से
- भारत में स्थित पूंजीगत आस्ति के हस्तांतरण के माध्यम से भारत में

प्रोद्भूत या उद्भूत मानी जाएगी। [अनुभाग 9(1)(i)]

तथापि, अनिवासी के मामले में, निम्नलिखित को भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत नहीं माना जाएगा [अनुभाग 9(1)(i) का स्पष्टीकरण 1]:

- (i) किसी कारबार के मामले में, जिसके संबंध में सभी परिचालन भारत में नहीं किए जाते हैं [अनुभाग 9(1)(i) का स्पष्टीकरण 1(a)]: किसी कारबार के मामले में, जिसके सभी परिचालन भारत में नहीं किए जाते हैं, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली समझी जाने वाली कारबार की आय, आय का केवल उतना हिस्सा होगी जो भारत में किए गए परिचालनों के लिए उचित रूप से जिम्मेदार है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकलता है कि आय का ऐसा भाग, जिसे भारत में परिचालन के लिए उचित रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत नहीं माना जाएगा।
- (ii) निर्यात के लिए भारत में माल की खरीद [अनुभाग 9(1)(i) का स्पष्टीकरण 1(b)]: किसी अनिवासी के मामले में, भारत में उसके लिए कोई आय उन परिचालनों के माध्यम से या उनसे प्राप्त नहीं मानी जाएगी जो निर्यात के उद्देश्य से भारत में माल की खरीद तक ही सीमित हैं।
- (iii) भारत से बाहर प्रसारण के लिए भारत में समाचारों और विचारों का संग्रहण [अनुभाग 9(1)(i) का स्पष्टीकरण 1(c)]: किसी अनिवासी के मामले में, जो समाचार एजेंसी चलाने या समाचारपत्रों, पत्रिकाओं या जर्नलों के प्रकाशन के कारबार में लगा हुआ व्यक्ति है, उसे भारत में उन गतिविधियों के माध्यम से या उनसे कोई आय प्रोद्भूत या उद्भूत नहीं मानी जाएगी जो भारत से बाहर प्रसारण के लिए भारत में समाचारों और विचारों के संग्रह तक ही सीमित हैं।
- (iv) भारत में सिनेमैटोग्राफ फिल्मों की शूटिंग [अनुभाग 9(1)(i) का स्पष्टीकरण 1(d)]: किसी अनिवासी के मामले में, भारत में किसी सिनेमैटोग्राफ फिल्म की शूटिंग तक सीमित परिचालनों के माध्यम से या उनसे कोई आय प्रोद्भूत या उद्भूत नहीं मानी जाएगी, यदि ऐसा अनिवासी:

- (a) ऐसा व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है या
- (b) ऐसी फर्म जिसका कोई भी भागीदार भारत का नागरिक या भारत का निवासी नहीं है; या
- (c) ऐसी कंपनी जिसका कोई भी शेयरधारक भारत का नागरिक या भारत का निवासी नहीं है।
- (v) **SNZ में अपरिष्कृत हीरों के प्रदर्शन तक सीमित गतिविधियां [अनुभाग 9(1)(i) का स्पष्टीकरण 1((e))]**: यदि कोई विदेशी कम्पनी हीरों के खनन के कारबार में लगी हुई है, तो उसे भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत मानी जाने वाली कोई भी आय प्राप्त नहीं होगी यदि उसके क्रियाकलाप केवल अपरिष्कृत और अवर्गीकृत हीरों के प्रदर्शन तक सीमित हों, और वह प्रदर्शन किसी विशेष क्षेत्र में किया गया हो जिसे इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया गया हो।

#### भारत में सम्पत्ति, आस्तियों या आय के स्रोत से प्राप्त आय

कोई भी आय जो किसी सम्पत्ति (चल, अचल, मूर्त या अमूर्त सम्पत्ति) से उद्भूत होती है, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत मानी जाएगी।

#### उदाहरण:

1. भारत में स्थित संयंत्र या भवन के उपयोग हेतु भारत से बाहर भुगतान किया गया भाड़ा या किराया,
2. किसी भारतीय कंपनी में जमा राशि जिस पर भारत से बाहर ब्याज प्राप्त होता है आदि।
3. श्री X, जो न्यूयॉर्क, अमेरिका में निवासी हैं, की एक गृह संपत्ति भारत में स्थित है जिसे उन्होंने किराये पर दिया हुआ है। श्री एक्स द्वारा प्राप्य/प्राप्त किया गया किराया भारत में करयोग्य होगा, चाहे वह किराया उन्हें भारत में प्राप्त हो या भारत से बाहर, क्योंकि गृह संपत्ति भारत में स्थित है।

#### भारत में स्थित पूंजी आस्ति के हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त आय

भारत में स्थित पूंजी आस्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ सभी मामलों में भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत माने जाएँगे, चाहे यह तथ्य कुछ भी हो कि...

- (i) चाहे पूंजी आस्ति चल हो या अचल, मूर्त हो या अमूर्त;
- (ii) हस्तांतरण आदि के दस्तावेज के पंजीकरण का स्थान भारत में हो या भारत से बाहर; और
- (iii) हस्तांतरण के प्रतिफल का भुगतान स्थान भारत में हो या भारत से बाहर।

**(2) भारत में उपार्जित वेतन से प्राप्त आय [अनुभाग 9(1)(ii)]**

आय, जो "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत आती है, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत मानी जाएगी, यदि वह भारत में उपार्जित की गई हो। भारत में दी गई सेवा के लिए देय वेतन को भारत में उपार्जित माना जाएगा।

इसके अतिरिक्त, विश्राम अवधि या अवकाश अवधि के लिए देय "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत कोई भी आय, जो भारत में प्रदान की गई सेवाओं से पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती हो, और रोजगार के सेवा अनुबंध का हिस्सा बनती है, उसे भारत में उपार्जित आय माना जाएगा।

**(3) भारत के बाहर प्रदान की गई सेवाओं के लिए सरकार द्वारा देय वेतन से आय [अनुभाग 9(1)(iii)]**

भारत के बाहर प्रदान की गई सेवाओं के लिए भारत के नागरिक को सरकार द्वारा देय 'वेतन' से प्राप्त आय भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत मानी जाएगी।

ऐसी आय को भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत मानी जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है:

- आय 'वेतन' शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य होनी चाहिए;
- भुगतानकर्ता भारत सरकार होना चाहिए।
- प्राप्तकर्ता भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे वह भारत में निवासी हो या अनिवासी।
- सेवाएँ भारत के बाहर प्रदान की जानी चाहिए।

तथापि, भारत के बाहर प्रदान की गई सेवाओं के लिए सरकार द्वारा किसी भारतीय नागरिक को भारत के बाहर दिए गए भत्ते और अनुलाभ अनुभाग 10(7) के आधार पर छूट प्राप्त हैं।



अनुभाग 10(7) के तहत छूट निर्धारिती को उपलब्ध होगी, चाहे वह किसी भी कर व्यवस्था के अंतर्गत कर का भुगतान करता हो।

**चित्रण 6**

श्री डेविड, 40 वर्षीय भारतीय नागरिक, जो विदेश मंत्रालय में भारत सरकार के कर्मचारी हैं, कनाडा के उच्चायोग में स्थानांतरण के कारण 31.03.2025 को पहली बार भारत से बाहर गए। उन्होंने पिछले वर्ष 2025-26 के दौरान कभी भी भारत का दौरा नहीं किया। उन्हें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निम्नलिखित आय प्राप्त हुई है:

क्रम संख्या	विवरण	₹
(i)	वेतन (संगणित)	5,00,000
(ii)	विदेशी भत्ता [उपर्युक्त (i) में शामिल नहीं]	4,00,000
(iii)	भारत में बैंक से सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज	1,00,000
(iv)	नेपाल में कृषि से आय	2,00,000
(v)	नेपाल में गृह संपत्ति से आय	2,50,000

निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए उसकी सकल कुल आय की गणना करें।

### समाधान

अनुभाग 6(1) के अनुसार, श्री डेविड निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए अनिवासी हैं, क्योंकि वह पिछले वर्ष 2025-26 के दौरान भारत में किसी भी समय उपस्थित नहीं थे।

अनुभाग 5(2) के अनुसार, एक अनिवासी को भारत में केवल निम्नलिखित आय के संबंध में ही कर देना होगा:

- भारत में प्राप्त या प्राप्त मानी गई आय; और
- भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली या उपार्जित या प्रोद्भूत मानी जाने वाली आय।

उपर्युक्त प्रावधानों के मद्देनजर, नेपाल में कृषि से प्राप्त आय और नेपाल में गृह संपत्ति से प्राप्त आय डेविड के हाथों में कर के लिए प्रभार्य नहीं होगी, बशर्ते कि वे नेपाल में प्राप्त हुई हों। भारत के बाहर प्रदान की गई सेवाओं के लिए भारत के नागरिक को सरकार द्वारा देय 'वेतन' से आय अनुभाग 9(1)(iii) के अनुसार भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत मानी जाती है। इसलिए, ऐसी आय श्री डेविड के पक्ष में कर के लिए प्रभार्य है, भले ही वह अनिवासी हों।

हालांकि, भारत के बाहर सेवा प्रदान करने के लिए भारत के नागरिक को सरकार द्वारा भारत के बाहर भुगतान या अनुमति दिए गए भत्ते या अनुलाभ अनुभाग 10(7) के तहत छूट प्राप्त हैं। इसलिए, श्री डेविड के पक्ष में अनुभाग 10(7) के तहत ₹4,00,000 का विदेशी भत्ता छूट प्राप्त है।

### निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए श्री डेविड की सकल कुल आय

विवरण	₹
वेतन (संगणित)	5,00,000
अन्य स्रोतों से आय (भारत में सावधि जमा पर ब्याज)	1,00,000
<b>सकल कुल आय</b>	<b>6,00,000</b>

**(4) भारत के बाहर किसी भारतीय कंपनी द्वारा भुगतान किया गया लाभांश [अनुभाग 9(1)(iv)]**

भारत के बाहर किसी भारतीय कंपनी द्वारा भुगतान किया गया लाभांश भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत माना जाएगा तथा शेयरधारकों के पक्ष में कर योग्य होगा।

**(5) ब्याज [अनुभाग 9 (1)(v)]**

अनुभाग 9(1)(v) के अंतर्गत, कोई ब्याज भारत में उपार्जित या उत्पन्न माना जाएगा यदि वह निम्नलिखित द्वारा देय हो -

(i) सरकार द्वारा;

(ii) एक व्यक्ति जो भारत का निवासी हो;

**अपवाद:** जहां यह किसी उपगत ऋण या उधार ली गई धनराशि के संबंध में देय है और जिसका उपयोग भारत के बाहर उसके द्वारा किए गए कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए या भारत के बाहर किसी स्रोत से आय उपार्जन करने या कमाने के प्रयोजनों के लिए किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसे भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत नहीं माना जाएगा।

(iii) एक व्यक्ति जो अनिवासी है, जब यह उसके द्वारा भारत में किए गए कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए लिए गए किसी उपगत ऋण या उधार ली गई धनराशि के संबंध में देय हो।

**अपवाद:** भारत में किसी कारबार या वृत्ति के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनिवासी द्वारा उधार ली गई धनराशि पर देय ब्याज भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत नहीं माना जाएगा।

**उदाहरण:** यदि कोई अनिवासी 'A' किसी अनिवासी 'B' से धन उधार लेता है और उसे किसी भारतीय कंपनी के शेयरों में निवेश करता है, तो 'A' द्वारा 'B' को देय ब्याज भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत नहीं माना जाएगा।

**(6) रॉयल्टी [अनुभाग 9(1)(vi)]**

रॉयल्टी भारत में तब प्रोद्भूत या उद्भूत माना जाएगा जब इसका भुगतान निम्नलिखित द्वारा देय हो -

(i) सरकार द्वारा;

(ii) एक व्यक्ति जो भारत का निवासी है

**अपवाद:** जहां यह किसी अधिकार के हस्तांतरण या किसी संपत्ति या सूचना के उपयोग या सेवाओं के उपयोग के संबंध में देय हो — और वह उपयोग उस व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर संचालित किसी कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए, या भारत से बाहर किसी स्रोत से किसी

आय का उपार्जन या निर्माण करने के प्रयोजन के लिए किया गया हो; या

- (iii) कोई व्यक्ति जो अनिवासी है, केवल तभी जब रॉयल्टी किसी अधिकार, संपत्ति या सूचना के उपयोग के संबंध में या उपयोजित सेवाओं के संबंध में देय हो और वह उपयोग भारत में संचालित किसी कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए, या भारत में किसी स्रोत से किसी आय का उपार्जन करने के प्रयोजन के लिए किया गया हो।

### महत्वपूर्ण बिंदु:

- (1) एकमुश्त रॉयल्टी का भारत में उपार्जित होना नहीं माना जाएगा: कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात, सॉफ्टवेयर विकास और प्रशिक्षण नीति, 1986 के अंतर्गत सरकार द्वारा अनुमोदित किसी योजना के अंतर्गत कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ-साथ किसी अनिवासी निर्माता द्वारा आपूर्ति किए गए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में सभी या किसी अधिकार (लाइसेंस प्रदान करने सहित) के हस्तांतरण के लिए किसी निवासी द्वारा किए गए एकमुश्त रॉयल्टी भुगतान को भारत में उपार्जित या उपार्जित नहीं माना जाएगा।
- (2) रॉयल्टी का अर्थ: 'रॉयल्टी' शब्द का अर्थ है प्रतिफल (किसी भी एकमुश्त प्रतिफल सहित, लेकिन किसी भी प्रतिफल को छोड़कर जो प्राप्तकर्ता की आय होगी और जो 'पूँजीगत लाभ' शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य होगी):
- पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया या ट्रेडमार्क या समान संपत्ति के संबंध में सभी या किसी भी अधिकार (लाइसेंस देने सहित) का हस्तांतरण;
  - किसी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया या ट्रेडमार्क या समान संपत्ति के कार्यकारी स्वरूप या उपयोग से संबंधित किसी भी जानकारी को प्रदान करना;
  - किसी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया या ट्रेडमार्क या समान संपत्ति का उपयोग;
  - तकनीकी, औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक ज्ञान, अनुभव या कौशल से संबंधित कोई भी जानकारी प्रदान करना;
  - किसी भी औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग या उपयोग करने का अधिकार<sup>2</sup>;

<sup>2</sup>किन्तु इसमें अनुभाग 44BB में निर्दिष्ट राशियां शामिल नहीं हैं, जिसमें खनिज तेलों के अन्वेषण आदि के कारबार में लगे अनिवासी से संबंधित प्रकल्पित कर प्रावधान शामिल हैं, जिनका निपटारा अंतिम स्तर पर किया जाएगा।

- (vi) टेलीविजन के संबंध में उपयोग के लिए फिल्मों या वीडियो टेप या रेडियो प्रसारण के संबंध में टेप सहित किसी भी कॉपीराइट, साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कार्य के संबंध में सभी या किसी भी अधिकार (अनुज्ञप्ति देने सहित) का हस्तांतरण।

**नोट:** सिनेमैटोग्राफिक फिल्मों के विक्रय, वितरण या प्रदर्शन के लिए प्रतिफल रॉयल्टी के दायरे में आता है।

- (vii) उपरोक्त सूचीबद्ध गतिविधियों के संबंध में कोई भी सेवा प्रदान करना।

इस प्रयोजन के लिए 'रॉयल्टी' की परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसमें औद्योगिक रॉयल्टी के साथ-साथ कॉपीराइट रॉयल्टी भी शामिल है। इस परिभाषा में विशेष रूप से वह आय शामिल नहीं है जिस पर 'पूँजी लाभ' शीर्ष के अंतर्गत कर के लिए प्रभार्य होनी चाहिए।

- (3) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उपयोग या उपयोग के अधिकार के लिए प्रतिफल अनुभाग 9(1)(vi) के अर्थ में रॉयल्टी है**

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उपयोग या उपयोग के अधिकार के लिए प्रतिफल रॉयल्टी है, यह स्पष्ट करते हुए कि, किसी भी अधिकार, संपत्ति या सूचना के संबंध में सभी या किसी भी अधिकार के हस्तांतरण में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उपयोग या उपयोग के अधिकार के सभी या किसी भी अधिकार का हस्तांतरण (अनुज्ञप्ति प्रदान करने सहित) शामिल है और इसमें हमेशा शामिल रहा है, चाहे ऐसे अधिकार का हस्तांतरण किसी भी माध्यम से किया गया हो।

- (4) किसी अधिकार, संपत्ति या सूचना के संबंध में प्रतिफल - क्या यह रॉयल्टी है?**

रॉयल्टी में किसी भी अधिकार, संपत्ति या सूचना के संबंध में प्रतिफल शामिल है और हमेशा से शामिल रहा है, चाहे वह निम्नलिखित हो या न हो,

- (a) ऐसे अधिकार, संपत्ति या सूचना का कब्जा या नियंत्रण भुगतानकर्ता के पास है;
- (b) ऐसे अधिकार, संपत्ति या सूचना का उपयोग सीधे भुगतानकर्ता द्वारा किया जाता है;
- (c) ऐसे अधिकार, संपत्ति या सूचना का स्थान भारत में है।

- (5) प्रक्रिया का अर्थ:** "प्रक्रिया" शब्द में उपग्रह (किसी सिग्नल की डाउनलिंग के लिए अप-लिंगिंग, प्रवर्धन, रूपांतरण सहित), केबल, ऑप्टिक फाइबर या किसी अन्य समान प्रौद्योगिकी द्वारा संचरण शामिल है और हमेशा इसमें शामिल माना जाएगा, चाहे ऐसी प्रक्रिया गुप्त हो या नहीं।

**(7) तकनीकी सेवाओं के लिए फीस [अनुभाग 9(1)(vii)]**

तकनीकी सेवाओं के लिए कोई भी फीस भारत में उपार्जित या उत्पन्न मानी जाएगी यदिवे निम्नलिखित द्वारा देय हों -

(i) सरकार द्वारा,

(ii) एक व्यक्ति जो भारत का निवासी हो

**अपवाद:** जहां फीस भारत के बाहर ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए कारबार या वृत्ति में उपयोग की गई तकनीकी सेवाओं के संबंध में या भारत के बाहर किसी भी स्रोत से कोई आय उपार्जन करने के उद्देश्य से देय है।

(iii) एक व्यक्ति जो अनिवासी है, केवल वहीं जहां फीस भारत में अनिवासी द्वारा किए गए कारबार या वृत्ति में उपयोग की गई सेवाओं के संबंध में देय हो या जहां ऐसी सेवाओं का उपयोग भारत में किसी भी स्रोत से कोई आय निर्माण या उपार्जन के उद्देश्य से किया गया हो।

**तकनीकी सेवाओं के लिए फीस** का अर्थ है किसी भी प्रबंधकीय, तकनीकी या परामर्श सेवाएं (तकनीकी या अन्य कार्मिकों की सेवाएं प्रदान करने सहित) प्रदान करने के लिए कोई भी प्रतिफल (किसी एकमुश्त प्रतिफल सहित)। हालाँकि, इसमें प्राप्तकर्ता द्वारा किए गए किसी निर्माण, संयोजन, खनन या इसी तरह की परियोजना के लिए प्रतिफल या वह प्रतिफल शामिल नहीं है जो प्राप्तकर्ता की आय होगी और जो 'वेतन' शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य हो।

**किसी अनिवासी को भारत में तकनीकी सेवाओं के लिए ब्याज, रॉयल्टी और शुल्क के रूप में प्रोद्भूत या उद्भूत मानी जाने वाली आय पर क्षेत्रीय संबंध पर ध्यान दिए बिना करयोग्य मानी जाएगी (अनुभाग 9 का स्पष्टीकरण)**

तकनीकी सेवाओं के लिए ब्याज, रॉयल्टी या फीस के रूप में आय, जो अनुभाग 9(1) के खंड (v), (vi) और (vii) के आधार पर भारत में अप्रोद्भूत या उद्भूत मानी जाती है, अनिवासी की कुल आय में शामिल की जाएगी, चाहे निम्नलिखित हो या न हो:

(i) अनिवासी का भारत में निवास, कारबार का स्थान या कारबार संबंध हो; या

(ii) अनिवासी ने भारत में सेवाएं प्रदान की हों।

वस्तुतः, भारत में प्रयुक्त सेवाओं से तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, ब्याज या रॉयल्टी के रूप में प्राप्त आय, अनिवासी के मामले में भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत मानी जाएगी तथा उसकी योग आय में शामिल की जाएगी, चाहे ऐसी सेवाएं भारत में प्रदान की गई हों या नहीं।

## चित्रण 7

सुश्री विविथा ने कोलंबो में कार्यरत प्रबंधन सलाहकार श्री कुलशेखरा को 5000 अमेरिकी डॉलर की राशि का भुगतान किया, जो परियोजना वित्तपोषण में विशेषज्ञ हैं। भुगतान कोलंबो में किया गया। श्री कुलशेखरा अनिवासी हैं। यह परामर्श भारत में एक परियोजना से संबंधित है जिसमें संभवतः श्री लंकाई सहयोग भी शामिल है। क्या यह भुगतान श्री कुलशेखरा के हाथों में भारत में कर योग्य है, क्योंकि सेवाओं का उपयोग भारत में किया गया था?

## समाधान

किसी अनिवासी को भारत के बाहर प्राप्त आय के संबंध में तभी कर देना होगा जब ऐसी आय भारत में अप्रोद्भूत या उद्भूत होती है या उसके लिए भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत मानी जाती है।

अनुभाग 9 के अंतर्गत भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत मानी जाने वाली आय में, अन्य बातों के साथ-साथ, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में आय शामिल है, जिसमें किसी प्रबंधकीय, तकनीकी या परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए कोई प्रतिफल शामिल है। इसलिए, परियोजना वित्तपोषण से संबंधित प्रबंधन परामर्शदाता को किया गया भुगतान “तकनीकी सेवाओं की फीस” के दायरे में आता है।

अनुभाग 9(2) के नीचे स्पष्टीकरण यह स्पष्ट करता है कि भारत में उपयोग की गई सेवाओं से तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में आय, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी अनिवासी के मामले में भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत मानी जाएगी तथा उसकी कुल आय में शामिल की जाएगी, चाहे ऐसी सेवाएं भारत में प्रदान की गई हों या नहीं या अनिवासी का भारत में निवास या कारबार का स्थान या व्यावसायिक संबंध हो या नहीं।

वर्तमान मामले में, चूंकि सेवाओं का उपयोग भारत में किया गया था, इसलिए अनिवासी श्री कुलशेखरा द्वारा कोलंबो में प्राप्त भुगतान भारत में उनके पक्ष में कर योग्य है, क्योंकि इसे भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत माना जाता है।

**(8) किसी निवासी भारतीय द्वारा किसी गैर-कॉर्पोरेट अनिवासी या विदेशी कंपनी को या किसी निवासी को, लेकिन भारत में साधारणतया निवासी न होने पर, भुगतान की गई कोई धनराशि [अनुभाग 9(1)(viii)]**

भारत के बाहर प्रोद्भूत होने वाली आय, जो किसी भारतीय निवासी व्यक्ति द्वारा किसी गैर-कॉर्पोरेट, अनिवासी या विदेशी कंपनी या आरएनओआर को बिना किसी प्रतिफल के भुगतान की गई कोई राशि हो, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत मानी जाएगी यदि वह अनुभाग 56(2)(x) के अंतर्गत कर योग्य हो, अर्थात् यदि किसी गैर-कॉर्पोरेट अनिवासी या विदेशी कंपनी या आरएनओआर द्वारा प्राप्त ऐसी राशि का कुल योग ₹50000 से अधिक हो।

आप अध्याय 3 की यूनिट 5 का संदर्भ ले सकते हैं, जहां प्राप्त किसी भी धनराशि की प्रभायता पर विस्तार से चर्चा की गई है।



यह मान्य प्रावधान केवल किसी गैर-कॉर्पोरेट अनिवासी या विदेशी कंपनी या आरएनओआर को भारत के बाहर भुगतान की गई धनराशि पर लागू होता है, तथा यह उस संपत्ति के संबंध में लागू नहीं होता है, जो बिना किसी प्रतिफल के या अपर्याप्त प्रतिफल के लिए भारत के बाहर किसी गैर-कॉर्पोरेट अनिवासी या विदेशी कंपनी या आरएनओआर को हस्तांतरित की गई चल या अचल संपत्ति के संबंध में लागू नहीं होता है।

**चित्रण 8**

35 वर्ष की आयु के एक व्यक्ति, जो निवासी और साधारणतया निवासी, निवासी लेकिन साधारणतया निवासी नहीं है और अनिवासी के लिए निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए योग आय की गणना करें, यह मानते हुए कि उसने अनुभाग 115BAC(1A) के तहत प्रदान की गई डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुना है-

विवरण	राशि (₹)
यूके विकास बंधपत्रों पर ब्याज, जिसमें भारत में प्राप्त किया गया ब्याज का 50% शामिल है	10,000
चेन्नई में कारबार से आय (जिसमें भारत में प्राप्त की गई आय का ₹50% शामिल है)	20,000
भारतीय कम्पनी के शेयरों के विक्रय पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ, जो लंदन में प्राप्त किया गया	20,000
ब्रिटिश कम्पनी से प्राप्त लाभांश, जो लंदन में प्राप्त किया गया	5,000
जर्मनी में संयंत्र के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी अधिलाभ, जिसमें अधिलाभ का 50% भारत में प्राप्त किया गया	40,000
जर्मनी में कारबार से उपार्जित आय, जो दिल्ली में नियंत्रित है (जिसमें ₹40,000 भारत में प्राप्त किया गया)।	70,000
दिल्ली में कारबार से प्राप्त लाभ, जिसे पूर्णतः लंदन से प्रबन्धित किया गया है	15,000
लंदन में गृह सम्पत्ति से आय, जो लंदन के एक बैंक में जमा की गई और भारत में लाई गई (संगणित)	50,000
भारतीय कम्पनी में डिबेंचरों पर प्राप्त ब्याज, जो लंदन में प्राप्त किया गया	12,000
भारत में प्रदान की गई लेकिन लंदन में प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए फीस	8,000
मुंबई में कारबार से प्राप्त लाभ, जिसे लंदन से प्रबन्धित किया गया है	26,000
नेपाल में स्थित सम्पत्ति से आय, जो वहीं प्राप्त की गई (संगणित)	16,000
पिछले वर्ष के दौरान भारत में लाई गई बिना कर भुगतान की गई विदेशी आय	5,000
नेपाल में स्थित कृषि-भूमि से प्राप्त कृषि-आय, जो वहीं प्राप्त की गई और बाद में भारत में लाई गई	18,000

केन्या में वृत्ति से प्राप्त आय, जो भारत में स्थापित की गई, वहाँ प्राप्त की गई लेकिन भारत में व्यय की गई	5,000
उसकी शादी के अवसर पर प्राप्त उपहार	20,000
भारतीय स्टेट बैंक में बचत बैंक जमा पर ब्याज	12,000
रूस में स्थित और नियंत्रित कारबार से प्राप्त आय	20,000
भारतीय कम्पनी रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड से प्राप्त लाभांश	5,000
राजस्थान में स्थित भूमि से प्राप्त कृषि-आय	15,000

## समाधान

## निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए योग आय की संगणना

विवरण	निवासी और साधारणतया निवासी ₹	निवासी लेकिन साधारणतया निवास नहीं ₹	अनिवासी ₹
यूके विकास बंधपत्रों पर ब्याज, जिसमें भारत में प्राप्त किया गया ब्याज का 50% शामिल है	10,000	5,000	5,000
चेन्नई में कारबार से आय (जिसमें भारत में प्राप्त की गई आय का ₹50% शामिल है)	20,000	20,000	20,000
भारतीय कम्पनी के शेयरों के विक्रय पर अल्पकालिक पूंजी अधिलाभ, जो लंदन में प्राप्त किया गया	20,000	20,000	20,000
ब्रिटिश कम्पनी से प्राप्त लाभांश, जो लंदन में प्राप्त किया गया	5,000	-	-
जर्मनी में संयंत्र के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी अधिलाभ, जिसमें अधिलाभ का 50% भारत में प्राप्त किया गया	40,000	20,000	20,000
जर्मनी में स्थित, लेकिन दिल्ली से नियंत्रित कारबार से उपार्जित आय, जिसमें से ₹40,000 भारत में प्राप्त किया गया	70,000	70,000	40,000
दिल्ली में स्थित, लेकिन पूर्णतः लंदन से प्रबंधित कारबार से प्राप्त लाभ	15,000	15,000	15,000
लंदन में स्थित गृह संपत्ति से प्राप्त आय, जो लंदन के बैंक में जमा की गई और बाद में भारत भेज दिया गया	50,000	-	-

भारतीय कम्पनी में डिबेंचर पर प्राप्त ब्याज, जो लंदन में प्राप्त किया गया	12,000	12,000	12,000
भारत में प्रदान की गई लेकिन लंदन में प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए फीस	8,000	8,000	8,000
मुंबई में स्थित, लेकिन लंदन से प्रबंधित कारबार से प्राप्त लाभ	26,000	26,000	26,000
नेपाल में स्थित सम्पत्ति से प्राप्त आय, जो वहीं प्राप्त की गई	16,000	-	-
पिछले वर्ष के दौरान भारत में लाई गई बिना कर भुगतान की गई विदेशी आय	-	-	-
नेपाल में स्थित कृषि-भूमि से प्राप्त कृषि-आय, जो वहीं प्राप्त की गई और बाद में भारत में लाई गई	18,000	-	-
केन्या में वृत्ति से प्राप्त आय, जो भारत में स्थापित की गई, वहाँ प्राप्त की गई लेकिन भारत में व्यय की गई	5,000	5,000	-
उसकी शादी के अवसर पर प्राप्त उपहार [कर योग्य नहीं]	-	-	-
भारतीय स्टेट बैंक में बचत बैंक जमा पर ब्याज	12,000	12,000	12,000
रूस में नियंत्रित किसी व्यवसाय से आय	20,000	-	-
भारतीय कम्पनी रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड से प्राप्त लाभांश	5,000	5,000	5,000
राजस्थान में स्थित भूमि से प्राप्त कृषि-आय [अनुभाग 10(1) के अंतर्गत मुक्त]	-	-	-
<b>सकल कुल आय</b>	<b>3,52,000</b>	<b>2,18,000</b>	<b>1,83,000</b>
<b>कम करें:</b> अनुभाग 80TTA के तहत कटौती [बचत बैंक खाते पर ब्याज अधिकतम ₹10,000 रुपये तक]	10,000	10,000	10,000
<b>कुल आय</b>	<b>3,42,000</b>	<b>2,08,000</b>	<b>1,73,000</b>



## आइए हम पुनः दोहराएँ

### (I) किसी व्यक्ति की निवास स्थिति

(1) अनुभाग मुख्य शर्तें	(2) 6(1)	(3) 6(1)	(4) 6(1)	(5) 6(1)	(6) 6(1A)
	सभी व्यक्ति [(3), (4) और (5) के अलावा] [निवासी होने के लिए या तो (a) या (b) संतुष्ट होना चाहिए	रोजगार के लिए या भारतीय जहाज के चालक दल के सदस्य के रूप में प्रासंगिक पिछले वर्ष में भारत छोड़ने वाला भारतीय नागरिक	भारत से बाहर रहने वाले भारतीय नागरिक या POI जो संबंधित पिछले वर्ष के दौरान भारत की यात्रा करते हैं और जिनकी कुल आय (विदेशी स्रोतों से आय को छोड़कर) $\leq$ ₹15 लाख है।	भारत से बाहर रहने वाले भारतीय नागरिक या पीआईओ जो संबंधित पिछले वर्ष के दौरान भारत की यात्रा करते हैं और जिनकी कुल आय (विदेशी स्रोतों से आय को छोड़कर) ₹15 लाख से अधिक है।	मानद निवासी - भारतीय नागरिक जिसकी कुल आय (विदेशी स्रोतों से आय को छोड़कर) ₹15 लाख से अधिक है, जो किसी अन्य देश में कर के लिए उत्तरदायी नहीं है
(a) प्रासंगिक पिछले वर्ष में $\geq 182$ दिन	√	√	√	√	X
(b) प्रासंगिक पिछले वर्ष में $\geq 60$ दिन + 4 तत्काल पूर्ववर्ती पिछले वर्ष में $\geq 365$ दिन	(OR)  √	X	X	प्रासंगिक पिछले वर्ष में $\geq 120$ दिन + पिछले 4 तुरंत पूर्ववर्ती पूर्व वर्षों में $\geq 365$ दिन	X
<b>अतिरिक्त शर्तें</b>	अनुभाग 6(6)			अनुभाग 6(6)	अनुभाग 6(6)
(i) पिछले 7 तुरंत पूर्ववर्ती पूर्व वर्षों में $\geq 730$ दिन	यदि (i) और (ii) दोनों शर्तें पूरी होती हैं, तो ROR अन्यथा RNOR			डिफॉल्ट रूप से RNOR, यदि व्यक्ति उपरोक्त संशोधित दूसरी शर्त की पूर्ति के कारण निवासी बन जाता है	डिफॉल्ट रूप से RNOR
(ii) पिछले 10 तुरंत पूर्ववर्ती पूर्व वर्षों में $\geq 2$ वर्षों तक निवासी रहा हो	अर्थात् यदि (i) या (ii) में से कोई एक शर्त पूरी होती है या दोनों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो RNOR				

<p><b>नोट्स</b></p>	<p>(1) अनुभाग 6(1A) उस व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होगी जिसे अनुभाग 6(1) के तहत पिछले वर्ष भारत में निवासी बताया गया हो।</p> <p>(2) किसी व्यक्ति को भारतीय मूल का कहा जाता है यदि वह या उसके माता-पिता या उसके दादा-दादी में से कोई एक अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो।</p> <p>(3) "विदेशी स्रोतों से आय" से तात्पर्य ऐसी आय से है जो भारत के बाहर प्रोद्भूत या उद्भूत होती है (भारत में नियंत्रित व्यवसाय या भारत में स्थापित पेशे से प्राप्त आय को छोड़कर) और जिसे भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत नहीं माना जाता है।</p>
<p><b>(II)</b></p>	<p><b>HUF [निवासी/आरएनओआर/अनिवासी]</b></p> <p>एक HUF भारत में निवासी होगा यदि उसके कार्यकलाप भारत में स्थित हो और उसका नियंत्रण और प्रबंधन पूर्णतः या आंशिक रूप से।</p> <p>यदि मामलों का नियंत्रण और प्रबंधन पूर्णतः भारत के बाहर स्थित है, तो यह अनिवासी बन जाएगा।</p> <p>यदि HUF निवासी है, तो कर्ता द्वारा अतिरिक्त शर्तों की पूर्ति या अन्यथा पर संतोष ही यह निर्धारित करेगा कि HUF, आर.ओ.आर होगा या आर.एन.ओ.आर।</p> <p>यदि कर्ता उपरोक्त (I) में दोनों अतिरिक्त शर्तों [(i) और (ii)] को पूरा करता है, तो, HUF ROR होगा। अन्यथा, HUF आरएनओआर माना जाएगा।</p>
<p><b>(III)</b></p>	<p><b>फर्म, AOP और BoI [निवासी/अनिवासी]</b></p> <p>(i) कोई फर्म, AOP या BoI भारत में निवासी होगी, यदि उसके मामलों का नियंत्रण और प्रबंधन पूर्णतः या आंशिक रूप से भारत में स्थित हो।</p> <p>(ii) यदि मामलों का नियंत्रण और प्रबंधन पूरी तरह से भारत के बाहर स्थित है, तो वे अनिवासी बन जाएंगे।</p>
<p><b>(IV)</b></p>	<p><b>कंपनियां [निवासी/अनिवासी]</b></p> <p>(i) कोई कंपनी किसी पिछले वर्ष में भारत में निवासी मानी जाएगी, यदि वह भारतीय कम्पनी है या उस वर्ष में उसकी प्रभावी प्रबन्ध(POEM) का स्थान भारत में स्थित है।</p> <p>(ii) यदि कंपनी भारतीय कंपनी नहीं है और उसका प्रभावी प्रबन्ध का स्थान(POEM भी उस वर्ष भारत में नहीं है, तो वह उस वर्ष के लिए अनिवासी मानी जाएगी।</p>

अनुभाग 5 [योग आय का कार्य क्षेत्र]		
निवासी और साधारणतया निवासी	निवासी लेकिन साधारणतया निवास नहीं	अनिवासी
<p>भारत में या भारत के बाहर प्राप्त/ प्राप्त मानी गई/ प्रोद्भूत या उद्भूत/ प्रोद्भूत या उद्भूत मानी गई आय</p> <p>संक्षेप में, वैश्विक आय करयोग्य होती है।</p>	<p>वह आय जो भारत में प्राप्त होती है/ प्राप्त मानी जाती है/ प्रोद्भूत या उद्भूत होती है/ प्रोद्भूत या उद्भूत मानी जाती है;</p> <p><b>और</b></p> <p>भारत में नियंत्रित कारबार या स्थापित वृत्ति से प्राप्त भारत से बाहर प्रोद्भूत या उद्भूत आय प्राप्त होती है।</p>	<p>भारत में प्राप्त/ प्राप्त मानी गई/ उद्भूत या उद्भूत/ उद्भूत या उद्भूत मानी गई आय।</p>



## अपने ज्ञान का परीक्षण करें

1. श्री राम, एक भारतीय नागरिक, जर्मनी में एक कंपनी के अधिकारी के रूप में काम करने के लिए पहली बार 22.09.2025 को भारत से बाहर गए। निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए राम की निवासी स्थिति का निर्धारण करें।
2. श्री डे 1990 से अमेरिका में रह रहे हैं और हर साल 30 दिनों के लिए भारत आते हैं। वे 1.4.2024 को स्थायी निवास हेतु भारत लौटे। निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए उनकी निवासी स्थिति क्या होगी?
3. श्री रमेश और श्री सुरेश भाई हैं, और उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित आय उपार्जित की। श्री रमेश वर्ष 1996 में कनाडा में और श्री सुरेश दिल्ली में बस गए। यह मानते हुए कि दोनों ने अनुभाग 115BAC(1A) के तहत प्रदत्त डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुना है, निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए कुल आय की गणना करें।

क्र. संख्या	विवरण	श्री रमेश (₹)	श्री सुरेश (₹)
1.	कनाडा विकास बंधपत्रों पर ब्याज (भारत में प्राप्त ब्याज का केवल 50%)	35,000	40,000
2.	ब्रिटिश कम्पनी से लाभांश, जो लंदन में प्राप्त किया गया	28,000	20,000
3.	नागपुर में एक कारबार से लाभ, लेकिन सीधे लंदन से प्रबंधित	1,00,000	1,40,000
4.	भारतीय कम्पनी के शेयरों के विक्रय पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ, भारत में प्राप्त किया गया	60,000	90,000
5.	चेन्नई में कारबार से आय	80,000	70,000
6.	भारत में प्रदान की गई तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, लेकिन कनाडा में प्राप्त की गई	1,00,000	-
7.	यूको बैंक, दिल्ली में बचत बैंक जमा पर ब्याज	7,000	12,000
8.	आंध्र प्रदेश में स्थित भूमि से कृषि आय	55,000	45,000
9.	भोपाल में गृह संपत्ति के संबंध में प्राप्त किराया	1,00,000	60,000
10.	भुगतान किया गया जीवन बीमा प्रीमियम	---	30,000

4. इस कथन की सत्यता या असत्यता की जांच करें - "भारत में किसी अनिवासी को तकनीकी सेवाओं के लिए ब्याज, रॉयल्टी और फीस के रूप में प्रोद्भूत या उद्भूत मानी जाने वाली आय क्षेत्रीय संबंध की परवाह किए बिना करयोग्य होती है"।
5. कारण सहित परीक्षण करें कि क्या निम्नलिखित संव्यवहार भारत में प्राप्तकर्ताओं के लिए आयकर के योग्य हैं या नहीं:
- भारत के बाहर प्रदान की गई सेवाओं के लिए भारत के नागरिक श्री जॉन को केन्द्र सरकार द्वारा देय वेतन ₹7,00,000, यह मानते हुए कि वह अनुभाग 115BAC के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करते हैं।
  - किसी अनिवासी द्वारा भारत के भीतर जैसे मुम्बई में कारबार के उद्देश्य से भारत के बाहर से उधार ली गई धनराशि पर ब्याज ₹5,00,000 रुपये।
  - यदि 46 वर्षीय निवासी निर्धारिती श्री राम द्वारा अनुभाग 115BAC(1A) के तहत प्रदत्त डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो डाकघर बचत बैंक से प्राप्त किया गया ब्याज ₹19,000
  - भारत के बाहर किए गए कारबार के संबंध में किसी निवासी द्वारा किसी अनिवासी को दी जाने वाली रॉयल्टी।
  - दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मामले का प्रतिनिधित्व करने हेतु भारत आए यूनाइटेड किंगडम के वकील को दिल्ली में भुगतान किया गया ₹5,00,000 का विधिक शुल्क
6. 65 वर्ष की आयु के श्री आशुतोष द्वारा 31.03.2026 को समाप्त वर्ष से संबंधित आय के निम्नलिखित विवरणों से, निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए कुल आय की संगणना करें, यह मानते हुए कि उन्होंने धारा 115BAC(1A) के तहत प्रदान की गई डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुना है, यदि वे
- निवासी और साधारणतया निवासी
  - अनिवासी

	विवरण	राशि (₹)
(i)	श्री रमेश, जो कि भारत से बाहर एक अनिवासी हैं, को जयपुर में भूमि की बिक्री पर पूंजी अभिलाभा यह प्रतिफल भारत के बाहर विदेशी मुद्रा में भी प्राप्त होता है।	1,50,000
(ii)	एक विदेशी कंपनी की शाखा को दिल्ली में किराए पर दी गई संपत्ति से किराया। किराया करार नामा भारत से बाहर किया गया है। मासिक किराया भी भारत से बाहर प्राप्त किया गया है।	1,20,000

(iii)	नेपाल स्थित भूमि से प्राप्त कृषि आय, जो नेपाल में ही प्राप्त की गई है	55,000
(iv)	यूको बैंक, दिल्ली में बचत बैंक जमा पर ब्याज	18,000
(v)	लंदन में कारबार से उपार्जित आय, जिसका नियंत्रण दिल्ली से किया जाता है (₹35,000 भारत में प्राप्त होते हैं)	60,000
(vi)	अपने जन्मदिन पर अपनी बेटी से प्राप्त उपहार	55,000
(vii)	भारत में लाई गई विगत विदेशी कर योग्य आय	37,000
(viii)	भारत के बाहर विदेशी कंपनी शाइन लिमिटेड को कारबार के लिए प्रदान की गई तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, जो भारत से बाहर ही प्राप्त की गई है	12,000

7. 35 वर्षीय भारतीय नागरिक श्री धनुष मुम्बई में ABC लिमिटेड में काम करते थे। उन्हें 01.06.2024 को XYZ इंक., USA से नौकरी का प्रस्ताव मिला। उन्होंने 31.07.2024 को पहली बार भारत छोड़ा और 08.08.2024 को XYZ इंक., में शामिल हो गए। पिछले वर्ष 2025-26 के दौरान, श्री धनुष 25.05.2025 से 22.09.2025 तक भारत की यात्रा पर रहे। उन्होंने पिछले वर्ष 2025-26 के लिए निम्नलिखित आय अर्जित की है

विवरण	₹
XYZ इंक., USA से अमेरिका में प्राप्त वेतन	7,00,000
भारतीय कंपनियों से लाभांश	5,50,000
पंजाब में स्थित भूमि से कृषि आय	55,000
लखनऊ में गृह संपत्ति से प्राप्त/प्राप्य किराया	4,00,000
भारत में स्थापित एक वृत्ति से अमेरिका में प्राप्त की गई आय, जो वहीं प्राप्त की गई है	6,00,000

श्री धनुष की निवासी स्थिति का निर्धारण करें और निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए उनकी कुल आय की संगणना करें।

## उत्तर

1. अनुभाग 6(1) के तहत, किसी भी पिछले वर्ष में यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरी करता है, तो उसे भारत में निवासी माना जाता है
- (i) वह पिछले वर्ष के दौरान भारत में कुल 182 दिनों या उससे अधिक की अवधि तक रहा हो, या

(ii) वह पिछले वर्ष से ठीक पहले के 4 वर्षों के दौरान कुल 365 दिन या उससे अधिक समय के लिए भारत में रहा हो तथा पिछले वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो।

भारत से नौकरी के लिए बाहर जाने वाले भारतीय नागरिकों के मामले में, पिछले वर्ष के दौरान भारत में प्रवास की अवधि ऊपर (ii) में दिए गए 60 दिनों के बजाय 182 दिन होनी चाहिए।

पिछले वर्ष 2025-26 के दौरान श्री राम, एक भारतीय नागरिक, केवल 175 दिन ही भारत में रहे (अर्थात् 30+31+30+31+31+22 दिन)। इसके बाद, वह नौकरी के उद्देश्य से भारत से बाहर चले गए।

चूँकि वह संबंधित पिछले वर्ष के दौरान भारत में 182 दिन की न्यूनतम प्रवास अवधि की शर्त पूरी नहीं करते हैं, इसलिए निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए वह अनिवासी है।

2. श्री डे निर्धारण वर्ष 2026-27 में निवासी हैं क्योंकि उन्होंने पिछले वर्ष 2025-26 के दौरान भारत में 365 दिन (182 दिन से अधिक) की अवधि तक प्रवास किया है।

अनुभाग 6(6) के तहत, कोई व्यक्ति किसी पिछले वर्ष में भारत में “साधारणतया निवासी नहीं” माना जाएगा यदि वह व्यक्ति, अन्य बातों के साथ-साथ:

- सुसंगत पिछले वर्ष से पहले के 10 पूर्व वर्षों में से 9 वर्षों में वह अनिवासी रहा हो; या
- सुसंगत पिछले वर्ष से ठीक पहले के 7 पूर्व वर्षों के दौरान वह भारत में 729 दिन या उससे कम रहा हो।

यदि वह इन दोनों शर्तों में से किसी को भी पूरा नहीं करता है, तो वह निवासी और साधारणतया निवासी होगा।

पिछले वर्ष 2025-26 (निर्धारण वर्ष 2026-27) के लिए उसकी स्थिति “निवासी किंतु साधारणतया निवासी नहीं” होगी क्योंकि वे पिछले वर्ष 2025-26 से तुरंत पहले के 10 पूर्व वर्षों में से 9 वर्षों में अनिवासी थे। वे केवल पिछले वर्ष 2024-25 में निवासी थे। उससे पहले, वह सभी वर्षों में अनिवासी था क्योंकि भारत में उसका स्थगन प्रत्येक वर्ष केवल 30 दिन का ही था।

वे निवासी हो सकते हैं, लेकिन साधारणतया निवासी नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि वे पिछले वर्ष 2025-26 से ठीक पहले के 7 पूर्व वर्षों में केवल 545 दिन [पिछले वर्ष 2024-25 में 365 दिन + (30 दिन x 6 वर्ष)] भारत में रहे हैं, जो कि 730 दिनों से कम है।

3. श्री रमेश और श्री सुरेश की निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए  
कुल आय की संगणना

क्र. सं.	विवरण	श्री रमेश (अनिवासी) (₹)	श्री सुरेश (निवासी) (₹)
1.	कनाडा विकास बांड पर ब्याज (नोट 2 देखें)	17,500	40,000
2.	लंदन में प्राप्त ब्रिटिश कंपनी से लाभांश (नोट 3 देखें)	-	20,000
3.	नागपुर में एक व्यवसाय से लाभ, लेकिन सीधे लंदन से प्रबंधित (नोट 2 देखें)	1,00,000	1,40,000
4.	भारत में प्राप्त भारतीय कंपनी के शेयरों के विक्रय पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (नोट 2 देखें)	60,000	90,000
5.	चेन्नई में एक कारबार से आय (नोट 2 देखें)	80,000	70,000
6.	भारत में प्रदान की गई तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, लेकिन कनाडा में प्राप्त (नोट 2 देखें)	1,00,000	-
7.	यूको बैंक, दिल्ली में बचत बैंक जमा पर ब्याज (नोट 2 देखें)	7,000	12,000
8.	आंध्र प्रदेश में स्थित भूमि से कृषि आय (नोट 4 देखें)	-	-
9.	भोपाल में गृह संपत्ति से आय (नोट 5 देखें)	70,000	42,000
	<b>सकल कुल आय</b>	<b>4,34,500</b>	<b>4,14,000</b>
	<b>घटाएं:</b> अध्याय VI-A के तहत कटौती		
	अनुभाग 80C - जीवन बीमा प्रीमियम	-	30,000
	अनुभाग 80TTA (नोट 6 देखें)	7,000	10,000
	<b>कुल आय</b>	<b>4,27,500</b>	<b>3,74,000</b>

**नोट्स:**

1. श्री रमेश अनिवासी हैं क्योंकि वे 1996 से कनाडा में रह रहे हैं। श्री सुरेश दिल्ली में बसे हुए हैं, इसलिए उन्हें निवासी और साधारणतया निवासी माना जाता है।
2. निवासी और साधारणतया निवासी के मामले में, उसकी वैश्विक आय अनुभाग 5(1) के अनुसार कर योग्य है। हालाँकि, अनुभाग 5(2) के अनुसार, अनिवासी के मामले में, केवल निम्नलिखित आय ही कर योग्य है:
  - (i) भारत में प्राप्त या प्राप्त मानी गई आय; और
  - (ii) भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली या उपार्जित या प्रोद्भूत मानी जाने वाली आय।
 इसलिए, भारत में प्रदान की गई तकनीकी सेवाओं के लिए फीस श्री रमेश के पक्ष में कर योग्य होगा, भले ही वे अनिवासी हों।  
 क्रम संख्या 3,4,5 और 7 में उल्लिखित आय श्री रमेश और श्री सुरेश दोनों के लिए कर योग्य है क्योंकि वे भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत होती हैं/ प्रोद्भूत या उद्भूत मानी जाती हैं।  
 कनाडा विकास बांड पर ब्याज श्री सुरेश के लिए पूरी तरह से कर योग्य होगा, जबकि भारत में प्राप्त केवल 50% ब्याज श्री रमेश के लिए कर योग्य होगा।
3. श्री रमेश, जो एक अनिवासी हैं, द्वारा लंदन स्थित ब्रिटिश कंपनी से प्राप्त लाभांश कर योग्य नहीं है, क्योंकि यह भारत के बाहर प्रोद्भूत और प्राप्त किया गया है। हालाँकि, श्री सुरेश द्वारा प्राप्त ऐसा लाभांश कर योग्य है, क्योंकि वह निवासी और साधारणतया निवासी हैं।
4. भारत में स्थित भूमि से प्राप्त कृषि आय, अनिवासियों और निवासियों दोनों के मामले में अनुभाग 10(1) के अंतर्गत छूट प्राप्त है।
5. गृह संपत्ति से आय -

	श्री रमेश (₹)	श्री सुरेश (₹)
प्राप्त किराया	1,00,000	60,000
<b>घटाएँ:</b> अनुभाग 24(a) के तहत 30% की कटौती	30,000	18,000
<b>गृह संपत्ति से शुद्ध आय</b>	<b>70,000</b>	<b>42,000</b>

भारत में गृह संपत्ति से प्राप्त शुद्ध आय श्री रमेश और श्री सुरेश दोनों के लिए कर योग्य होगी, क्योंकि इसका प्रोद्भवन और प्राप्ति भारत में ही होती है।

6. एक व्यक्ति के मामले में, भारत में प्राप्त बचत खाता से ₹10,000 तक का ब्याज, जिसमें अन्य बातों के साथ एक बैंक भी शामिल है, अनुभाग 80TTA के अंतर्गत कटौती के रूप में स्वीकार्य है।
4. यह कथन सही है।

अनुभाग 9 के स्पष्टीकरण के अनुसार, तकनीकी सेवाओं के लिए ब्याज, रॉयल्टी या फीस के रूप में आय, जो अनुभाग 9(1) के खंड (v), (vi) और (vii) के आधार पर भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत मानी जाती है, अनिवासी की कुल आय में शामिल की जाएगी, चाहे निम्नलिखित शर्तें लागू हों या न हों -

- (i) अनिवासी का भारत में निवास या कारबार का स्थान या व्यावसायिक संबंध है; या
- (ii) अनिवासी ने भारत में सेवाएं प्रदान की हों।

वस्तुतः, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, भारत में उपयोग की गई सेवाओं से ब्याज या रॉयल्टी के रूप में आय, अनिवासी के मामले में भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत मानी जाएगी तथा उसकी कुल आय में शामिल की जाएगी, चाहे ऐसी सेवाएं भारत में प्रदान की गई हों या नहीं और इस बात पर ध्यान दिए बिना कि अनिवासी का भारत में निवास या कारबार का स्थान या व्यावसायिक संबंध है या नहीं।

#### 5. प्राप्तियों की करयोग्यता

	कर योग्य / कर योग्य नहीं	कर योग्य राशि (₹)	कारण
(i)	कर योग्य	6,25,000	अनुभाग 9(1)(iii) के अनुसार, भारत के बाहर दी गई सेवा के लिए भारत के नागरिक को सरकार द्वारा देय वेतन भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत माना जाएगा। इसलिए, भारत के बाहर प्रदान की गई सेवाओं के लिए श्री जॉन को केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया वेतन भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत माना जाएगा, क्योंकि वे भारत के नागरिक हैं। वे अनुभाग 16(ia) के अंतर्गत ₹75,000 की मानक कटौती के हकदार होंगे।

(ii)	कर योग्य	5,00,000	अनुभाग 9(1)(v)(c) के अनुसार, भारत में उस व्यक्ति द्वारा संचालित व्यवसाय के प्रयोजन हेतु उधार ली गई और प्रयुक्त धनराशि पर अनिवासी द्वारा देय ब्याज को प्राप्तकर्ता के लिए भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत माना जाएगा।
(iii)	आंशिक रूप से कर योग्य	5,500	डाकघर बचत बैंक खाते पर प्राप्त ब्याज केवल व्यक्तिगत खाते के मामले में ₹3,500 की सीमा तक अनुभाग 10(15)(i) के तहत छूट प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, ₹10,000 तक का ब्याज सकल कुल आय से अनुभाग 80TTA के तहत कटौती के रूप में स्वीकार्य होगा। शेष राशि ₹5,500 अर्थात् ₹19,000 - ₹3,500 - ₹10,000 श्री राम, जो कि निवासी हैं, के लिए करयोग्य होगी।
(iv)	कर योग्य नहीं	-	भारत के बाहर किए गए कारबार के संबंध में किसी निवासी द्वारा किसी अनिवासी को दी गई रॉयल्टी, अनिवासी के लिए कर योग्य नहीं होगी, बशर्ते कि वह भारत में प्राप्त न हुई हो। इसे अनुभाग 9(1)(vi)(b) में उल्लिखित प्रोद्भवन के अपवाद के रूप में प्रदान किया गया है।
(v)	कर योग्य	5,00,000	अनिवासी के मामले में, कोई भी आय जो भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत होती है या जो भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत मानी जाती है या जो भारत में प्राप्त होती है या भारत में प्राप्त मानी जाती है, भारत में कर योग्य होती है। इसलिए, दिल्ली उच्च न्यायालय में किसी मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत आए ब्रिटेन के किसी अनिवासी वकील को भारत में भुगतान किए गए विधिक शुल्क भारत में कर योग्य होंगे।

## 6. निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए श्री आशुतोष की कुल आय की संगणना

विवरण	निवासी और साधारणतया निवासी (₹)	अनिवासी (₹)
जयपुर में श्री रमेश, जो एक अनिवासी हैं, को भारत के बाहर भूमि के विक्रय से प्राप्त पूंजी अभिलाभ	1,50,000	1,50,000
दिल्ली में संपत्ति से भारत के बाहर प्राप्त किराया ₹1,20,000 - ₹1,20,000 का 30% अनुभाग 24(a) के तहत]	84,000	84,000
नेपाल स्थित भूमि से प्राप्त कृषि आय, जो नेपाल में ही प्राप्त की गई है	55,000	-
यूको बैंक, दिल्ली में बचत बैंक जमा पर ब्याज	18,000	18,000
लंदन में कारबार से अर्जित आय, जिसका नियंत्रण दिल्ली से होता है	60,000	35,000
बेटी से प्राप्त उपहार (कर योग्य नहीं, क्योंकि बेटी रिश्तेदार है)	-	-
भारत में लाई गई विगत विदेशी कर भुगतान की गई आय (कर योग्य नहीं)	-	-
भारत के बाहर विदेशी कंपनी शाइन लिमिटेड को कारबार के लिए प्रदान की गई तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, जो भारत से बाहर ही प्राप्त की गई है	12,000	-
<b>सकल कुल आय</b>	<b>3,79,000</b>	<b>2,87,000</b>
घटाएँ: अनुभाग 80TTB/80TTA के अंतर्गत कटौती [बचत बैंक खाते पर ब्याज अधिकतम ₹50,000/₹10,000 तक सीमित]	18,000	10,000
<b>कुल आय</b>	<b>3,61,000</b>	<b>2,77,000</b>

## नोट्स-

- निवासी और साधारणतया निवासी के मामले में, वैश्विक आय अनुभाग 5(1) के अनुसार कर योग्य है। हालाँकि, अनुभाग 5(2) के अनुसार, अनिवासी के मामले में, केवल निम्नलिखित आय ही कर प्रभार्य है:
  - भारत में प्राप्त या प्राप्त मानी गई आय; और

- (ii) भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली या उपार्जित या प्रोद्भूत मानी जाने वाली आय।

इसलिए, नेपाल में स्थित भूमि से प्राप्त कृषि आय, लंदन में उपार्जित वह कारबार आय जिसका नियंत्रण दिल्ली से होता है और जो भारत से बाहर प्राप्त की जाती है, तथा भारत से बाहर के कारबार हेतु अनिवासी से प्राप्त तकनीकी सेवाओं की फीस — ये सभी अनिवासी के मामले में भारत में करयोग्य नहीं होती हैं।

2. वरिष्ठ नागरिक के मामले में, जो 60 वर्ष या अधिक आयु के निवासी हैं, बचत खाता से, बैंक में बचत खाते से ₹50,000 तक का ब्याज अनुभाग 80TTB के अंतर्गत कटौती के रूप में स्वीकार्य है; जबकि अनिवासी के मामले में, बचत खाता से, ₹10,000 तक का ब्याज अनुभाग 80TTA के अंतर्गत कटौती के रूप में स्वीकार्य है।
7. अनुभाग 6(1) के अनुसार, कोई भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति, जो भारत से बाहर रहते हुए भारत की यात्रा पर आता है, भारत का निवासी माना जाएगा यदि वह संबंधित पिछले वर्ष के दौरान 182 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए भारत में रहता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति की कुल आय, विदेशी स्रोतों से आय के अलावा, ₹15 लाख से अधिक न हो। हालांकि, यदि ऐसे व्यक्ति की विदेशी स्रोतों से प्राप्त आय के अतिरिक्त कुल आय ₹15 लाख से अधिक है, तो वह भी निवासी होगा, यदि वह सुसंगत पिछले वर्ष के दौरान कम से कम 120 दिनों के लिए भारत में रहा हो तथा पिछले वर्ष से तुरंत पूर्ववर्ती 4 वर्षों के दौरान कुल 365 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए भारत में रहा हो। ऐसे मामले में, वह भारत में निवासी किंतु साधारणतया निवासी नहीं होगा।

विदेशी स्रोतों से आय का अर्थ है वह आय जो भारत के बाहर प्रोद्भूत या उद्भूत होती है (भारत में नियंत्रित कारबार या स्थापित वृत्ति से प्राप्त आय को छोड़कर) और जिसे भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत नहीं माना जाता है।

इस मामले में, श्री धनुष की योग आय, विदेशी स्रोतों से आय को छोड़कर, पिछले वर्ष 2025-26 के लिए होगी...

विवरण	राशि (₹)
XYZ इंक., USA से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राप्त वेतन (कुल आय में शामिल नहीं है, क्योंकि यह विदेशी स्रोत से आय है)	-
भारतीय कंपनियों से लाभांश (कुल आय में शामिल, क्योंकि इसे भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत माना जाता है)	5,50,000

पंजाब स्थित भूमि से प्राप्त कृषि आय [अनुभाग 10 (1) के तहत छूट]		-
लखनऊ में गृह संपत्ति से प्राप्त/प्राप्य किराया (कुल आय में शामिल, क्योंकि इसे भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत माना जाता है)	4,00,000	
घटाएँ: ₹4 लाख का 30%	1,20,000	2,80,000
भारत में स्थापित एक वृत्ति से अमेरिका में प्राप्त की गई आय, जो वहीं प्राप्त की गई है		6,00,000
<b>विदेशी स्रोतों से आय के अलावा कुल आय</b>		<b>14,30,000</b>

चूंकि, श्री धनुष एक भारतीय नागरिक हैं, जो पिछले वर्ष 2025-26 में केवल 121 दिनों के लिए भारत की यात्रा पर आते हैं तथा विदेशी स्रोतों से आय के अलावा उनकी कुल आय ₹15 लाख से अधिक नहीं है, इसलिए वे निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए अनिवासी होंगे।

एक अनिवासी को भारत में प्राप्त या प्राप्त मानी गई आय तथा भारत में उसे प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाली या प्राप्त मानी गई आय के संबंध में कर देना होगा। तदनुसार, उसकी कुल आय इस प्रकार होगी -

विवरण	राशि (₹)	
XYZ इंक., USA से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राप्त वेतन (कर योग्य नहीं है, क्योंकि यह न तो भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत होता है और न ही इसे भारत में प्राप्त किया जाता है)	-	
भारतीय कम्पनियों से लाभांश (कर योग्य, क्योंकि इसे भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत माना जाता है)	5,50,000	
पंजाब में स्थित भूमि से कृषि आय [अनुभाग 10(1) के तहत छूट]	-	
लखनऊ में गृह संपत्ति से प्राप्त/प्राप्य किराया (कर योग्य, क्योंकि इसे भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत माना जाता है)	4,00,000	
घटाएँ: ₹4 लाख का 30%	1,20,000	2,80,000
भारत में स्थापित एक वृत्ति से अमेरिका में प्राप्त की गई आय, जो वहीं प्राप्त की गई है		-
<b>सकल कुल आय/ कुल आय</b>	<b>8,30,000</b>	